

RNI - MPBIL/2008/26448

डाक पंजीयन- म.प्र./भोपाल/4-167/2024-26



नवलय
सक्रियता के 26 वर्ष

नवलय अनुबोध

भाद्रपद-आश्विन, युगाब्द 5128, वर्ष 19 अंक 7, प्रेषण तिथि 15 सितम्बर 2026, पृष्ठ 36
मूल्य 30/- रु., प्रकाशन तिथि 14 सितम्बर 2026, ISSN No. 2456 - 0499

221 वां अंक

नागरिक अंक



नवलय नवांकुर

गरबा रास डांडिया

21वां वर्ष

गरबा प्रशिक्षण

20 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2026

गरबा के रंग - परिवार के संग

प्रशिक्षण स्थल

अवन्तिका क्लब
ई-7, महावीर नगर,
अरेरा कालोनी, भोपाल

गांधी पी आर कालेज
दानिश नगर नर्मदापुरम
मार्ग, भोपाल

शक्ति भवन
शक्ति नगर,
भोपाल

मुख्य समारोह

15 से 18 अक्टूबर 2026

सुभाष खेल मैदान, शक्ति नगर, भोपाल

For Online Registration visit -
www.navalaya.org

संपर्क - 9755380050



नवलय का मासिक प्रकाशन
नवलय अनुबोध



वर्ष 19 अंक 7, सितम्बर - 2026

संपादक
आशीष शर्मा

संपादक मण्डल
दीपक भसीन, राकेश कुमार जैन,
डॉ. पूर्णिमा दाते

प्रकाशक व मुद्रक
राकेश कुमार जैन

स्वामित्व
नवलय

54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल - 462011

E-mail :
navalayaanubodh@gmail.com
Web.: www.navalaya.org
फोन : 9425005033, 9425011865

प्रेषण व्यवस्था
सत्येन्द्र श्रीवास

मुद्रण
श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स,
एस-बी- लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, भोपाल
फोन : 0755-4235459

मूल्य : ₹ 30/-
वार्षिक शुल्क : ₹ 300/-
द्विवार्षिक शुल्क : ₹ 500/-

ISSN No. 2456 - 0499

मासिक पत्रिका

नवलय अनुबोध का इंटरनेट संस्करण हमारी वेबसाइट :
www.navalaya.org पर उपलब्ध है।

सम्पादकीय	04
अभिमत	05
नज़रिया	06
क्या है भारतीय नागरिकता	07
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर	09
एनआरसी व एनपीआर	11
संविधान की प्रस्तावना	12
नागरिक, करदाता और देश का विकास	13
शुक्र मनार्ये - आप भारत के नागरिक हैं	14
डिजिटल नागरिक और नागरिक उत्तरदायित्व	15
नागरिक और विविधता में एकता	16
फेक न्यूज और जागरूकता	17
जल संरक्षण : नागरिक धर्म	18
स्वच्छ भारत अभियान और नागरिक भागीदारी	19
स्वामी विवेकानन्द का राष्ट्र और नागरिक चिंतन	20
साइबर अपराध और नागरिक भूमिका	21
डॉ. भीमराव आंबेडकर की नागरिक दृष्टि	22
महात्मा गांधी की दृष्टि में आदर्श नागरिक	23
भारत में नागरिक अधिकार	24
निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक कर्तव्य	25
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य	26
मेरी नागरिक प्रतिज्ञा	27
क्या केवल सरकार से बदलता है देश?	28
नागरिक-अधिकार और कर्तव्य	29
श्रीमद्भगवतगीता के परिप्रेक्ष्य में	29
दोहरी नागरिकता	32
मेहमान का पन्ना	33
हमारी धरोहर	34

आवरण आकल्पन - निमिषा जैन

प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने विचार हैं। नवलय अनुबोध का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है

सम्पादकीय

ना

गरिकता की पहचान नेशन स्टेट से प्रारम्भ होती है। प्रजातंत्र नागरिक और नागरिकता को महत्व देता है। इतिहास में चलें तो नागरिकता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, राजा वंशानुगत या युद्ध और षड्यंत्र के मार्ग से चुने जाते थे, जिसके चयन में नागरिकों की कोई भूमिका नहीं थी। प्रजा के रूप में राजा के प्रति सम्मान का भाव, राजा द्वारा प्रजा से कर वसूली और उस कर से कुछ जनकल्याण के काम जैसे कुँए और तालाब खुदवाना, धर्मस्थलों, धर्मशालाओं का निर्माण व देखरेख इत्यादि आते थे। राजा की निरंकुशता की कोई सीमा नहीं थी। कुछ समीप और सम्बन्धियों को दरबारी बनाकर राज काज चलाना और विलासिता और शिकार या सीमा विस्तार के अतिरिक्त अपनी प्रजा के कल्याण के नाम पर अकाल की स्थिति में लगान मुलतवी करना जैसे काम राज धर्म माने जाते थे। बाहरी आक्रमणकारियों ने प्रजा को क्रूरता और दमन से नियंत्रण में रखा। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में जब राजा सुदृढ़ हुए तो उन्होंने अपने राज्य की सीमायें निर्धारित कीं। फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन इसके उदाहरण हैं। स्थाई सेना, कर संग्रह और प्रशासन इनके मुख्य लक्षण थे। वर्ष 1648 में वेस्टफेलिए संधि को नेशन स्टेट का प्रारम्भ माना जाता है। अठारहवीं शताब्दी में जन सामान्य के हाथों सत्ता में भागीदारी सौंपने का प्रारम्भ हुआ। यह व्यवस्था फ्रेंच क्रांति से और गतिमान हुई। बीसवीं शताब्दी ने नेशन स्टेट्स की अवधारणा को और बल दिया और राष्ट्र व नागरिक सम्बन्ध और स्पष्ट हुए।

नागरिक अंक की प्रासंगिकता इस बात में है कि देश, भूमि का कोई विस्तारित और सीमांकित टुकड़ा नहीं है। देश एक समूह है जिसके नागरिक अपने समाज और देश के प्रति कितने उत्तरदायी हैं यह प्रश्न स्थाई रूप से देश के सामने है। क्या स्थिति है नागरिकों के बीच एकता की। क्या स्तर है संवाद का नागरिक और जनप्रतिनिधियों के बीच। क्या आंदोलन, सड़क जाम और मोर्चे ही एक मार्ग हैं किसी विवाद या मांग को सुनने और समझने का ? एक वैश्विक विहंगम प्रस्तुत करने का प्रयास है यह अंक, क्या हैं नागरिक व्यवहार, शिष्टाचार और अपनी परंपरा के प्रति संवेदनशीलता के विभिन्न देशों के नागरिकों में, भारत की तुलना में। क्या होती है नागरिक एकजुटता, कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी इस अंक में समाहित हैं।

प्रति नागरिक आय और व्यय कैसे गिनती है सरकार। एक देश के रूप में उसके नागरिक के रूप में विश्व के अन्य देशों और उनके नागरिकों के जीवन स्तर में क्या अंतर है, देखेंगे इस अंक में। प्रजातंत्र में नागरिक और चुनी हुई सरकार के बीच सम्बन्ध की पहली सीढ़ी है मतदान, इस अंक में चर्चा करेंगे, मतदान प्रतिशत की, और कैसे मतदान की प्रक्रिया कितनी परिपक्व हुई है। कुछ चुभते मुद्दे हैं देश के सामने, अवैध प्रवासी समस्या उनमें से सबसे गंभीर है। क्या है नेशनल सिटीजन रजिस्टर, क्या उद्देश्य है इस व्यवस्था का, विश्व के अन्य देशों में घुसपैठ को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, पाठक देखेंगे इस अंक में। इस अंक में प्रस्तुत हैं, नागरिक और नागरिकता पर लेख, आदर्श नागरिक के अनिवार्य गुण और अधिकारों के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशीलता, क्या हैं नागरिक अधिकार हनन विश्व में, भारत इस कसौटी में कितना खरा उतर रहा है अपने स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी। क्या है और क्या होना चाहिए, इसका विवेचन समाहित है इस अंक में।

एक अच्छा नागरिक कानून का भय होने के कारण कानून का पालन नहीं करता, वह इसलिए करता है क्योंकि उसे समझ है कि कानून सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखने का माध्यम है। वह कर इसलिए नहीं देता कि उससे डरता है, बल्कि इसलिए कि सार्वजनिक संसाधनों में उसका भी योगदान है। वह मतदान केवल सरकार बदलने के लिए नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आवाज जोड़ने के लिए करता है। मनुष्य का किसी भू-भाग पर जन्म लेना उसे वहाँ का निवासी बना सकता है, लेकिन नागरिक होना केवल किसी देश में रहने की स्थिति नहीं, बल्कि उस देश के प्रति चेतना, सहभागिता और उत्तरदायित्व का बोध है। नागरिकता एक कानूनी पहचान से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है। यह व्यक्ति और राष्ट्र के बीच उस जीवंत संबंध का नाम है, जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्य, स्वतंत्रता के साथ अनुशासन और अपेक्षाओं के साथ योगदान जुड़ा होता है। नागरिक "मैं से हम की यात्रा है"।

आशा है पाठकों को इस यात्रा में नयी जानकारी मिलेगी। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। ■

डॉ. अमिताभ

कालजयी कथन

"अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्"

(महोपनिषद्)

यह मेरा है और यह तुम्हारा है का विचार संकीर्ण है। वास्तव में सारा विश्व ही एक परिवार है

अभिमत

कब बन पायेगे हम, आदर्श नागरिक ?

-राकेश कुमार जैन

ह

म अनेक दशकों से नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य या नागरिक बोध की कमी से जूझ रहे हैं। गत एक दशक के दौरान नगरों को साफ रखने के अभियान और करोड़ों शौचालय बनाए जाने के बावजूद हमारे नागरिकों में मात्र रती भर परिवर्तन हुआ है। दरअसल नागरिक शिष्टाचार का मामला सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, यह तो हमारे दैनंदिन व्यवहार के अनेक कार्यों में झलकता है, जहां हम अपने अलावा समाज के अन्य वर्गों से दो चार होते हैं। न सिर्फ अपने देश, वरन विदेशों में भी हमारी यही छवि है कि भारतीयों में नागरिक बोध और शिष्टाचार की बेहद कमी है। यह व्यवहार अक्सर हमें शर्मिंदगी का अहसास भी कराता है।



हमारे देश में लगभग डेढ़ लाख टन से अधिक ठोस कचरा प्रतिदिन निकलता है और माना जाता है कि इसमें से आधे के करीब अविभाजित या असंसाधित रहता है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, भवन की दीवार या कोनों पर पान की पीक थूकना से लेकर सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना, कहीं भी पार्किंग करना, अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना, ओवरटेकिंग करना ये सब हमारी आदतों में शामिल हो चुका है। शर्मनाक यह भी कि इन सबका शिक्षित-अशिक्षित, अमीर-गरीब से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय रेल के वातानुकूलित कोच में सामान्यजन यात्रा नहीं करता। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 से मई 2026 तक इन कोचों से 1.27 करोड़ सामग्री (चादर, तौलिया, कम्बल) गायब हुए जिनकी कीमत 104 करोड़ होती है। क्या कोई देश अपने सर्वसुविधासम्पन्न वर्ग से ऐसी अपेक्षा कर सकता है? हम सभी ने इन कोचों में सवार अनेक यात्रियों के द्वारा सीट के नीचे कचरा फेंकते, प्रदत्त नैपकिन से जूते पोंछते देखा होगा। कमोबेश यही व्यवहार हम तब करते हैं जब अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में होते हैं। हम यह ध्यान ही नहीं रखते कि वहां के नागरिक जैसा शिष्टाचार या व्यवहार निभाते हैं हम भी उस का पालन करें। जापान में सामान्य नागरिक बहुत कम बोलता है और वहां सार्वजनिक स्थानों पर भी शोर शराबा न के बराबर होता है। ऐसी जगह पर भी हमारे देश से पर्यटन के लिए गए लोग तेज आवाज में बातें करते, ठहाके लगाते और चिल्लाकर बुलाते जैसे दिखते हैं। चीन की दीवार पर गरबा करने, बुर्ज खलीफा या एफिल टावर और वियतनाम के सार्वजनिक स्थानों पर नाचने जैसी घटनाएं विगत एक दो वर्षों में ही हमने सुनी है। मेरे स्वयं के एक अनुभव का उल्लेख जरूरी है। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में निवास के दौरान वहां के एक ऐसे स्थल में गए जहां सिर्फ भारतीय व्यंजनों की दुकानें हैं। वहां का नजारा पूरे मेलबोर्न से अलग था। टेबिलों पर पड़ी जूठी पेपर प्लेट, छलकने को आतुर

डस्टबिन, शोर शराबा आदि। आश्चर्य हुआ कि पूरे शहर में शिष्टाचार का पालन करने वाले हमारे देशी लोगों का वहां पर व्यवहार कैसे बदल जाता है? मेरी बिटिया ने मजाक में कहा भी कि जब भी अपने देश की याद आती है तो हम यहां खाने आ जाते हैं।

सवाल यह उठता है कि क्या पूरे भारतीय ऐसे ही हैं। शायद नहीं। अपने ही आइजोल, मिजोरम में भ्रमण के समय मैंने देखा कि वहां किस तरह ट्रैफिक कतारबद्ध चलता है। सड़क के दूसरी ओर का हिस्सा खाली रहने के बावजूद कोई भी वाहन उस ओर से निकलने की जल्दबाजी नहीं करता। हार्न की कोई आवाज नहीं। दक्षिण के राज्यों में भी अनेक बार अनुशासन देखने को मिलता है। गत सात आठ सालों में इंदौर, सूरत जैसे नगरों ने, नागरिकों को साथ लेकर काफी सुधार किया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में हमने स्वयं देखा है किस प्रकार एक गरीब से गरीब घर भी साफ सुथरा लिपापुता रहता है। भारत की सभ्यता कर्तव्य पालन की सभ्यता रही है चाहे यह कर्तव्य प्रकृति के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या देश के प्रति हो। हम कब इन सबको भूल गए? कई लोग तर्क देते हैं कि एक लंबे कालखंड तक विदेशी शासन रहने के कारण यहां नागरिकों में किसी भी नियम के विपरीत चलने की एक मानसिकता सी बन गई है। कुछ कहते हैं कि देश की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कमी, बुनियादी ढांचे के अभाव से लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करने को मजबूर हो गए हैं और उस कारण वे नागरिक कर्तव्य का पालन करने से बचते हैं। कुछ कहते हैं कि 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण और बड़े-बड़े शहरों के निर्माण के बाद वहां बढ़ती आबादी की तुलना में उत्पन्न अधोसंरचना की कमी के कारण नागरिक बोध में कमी की घटनाएं बढ़ी हैं।

1940 से 1960 के दशक में, जापान में कूड़ा-कचरा फैलाने की समस्या बहुत आम थी, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत में कूड़ा फेंका जाता है। 1970 के दशक के बाद, शिक्षा, नियमन और प्रवर्तन के प्रयासों से ही जापान में आज स्वच्छता और व्यवस्था कायम हुई है। सिंगापुर, 1960 के दशक तक कूड़ा-कचरा फैलाने और खुले में शौच करने की व्यापक समस्या से जूझ रहा था, लेकिन कानून और प्रवर्तन के आने से यह दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक बन गया। वैसे यह कहना सही नहीं होगा कि मात्र कानून से नागरिक बोध लाया जा सकता है। इसके लिये शिक्षा और नागरिकों का शिक्षण ही सही कदम होगा। कानूनी पहल, जुर्माना आदि सिर्फ एक हद तक ही प्रभावी हो सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं भी नागरिक धर्म निभायें व दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करें तभी हम अपने देश को सच्चे अर्थों में विकसित बना पाएंगे। ■

- मो. 9425005033

Email- bankchetrna@gmail.com

नज़रिया

नागरिकता और नैतिकता बोध

- दीपक भसीन

ह

में स्वीकार करनी होंगी कुछ बातें। नागरिक के रूप में सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारे देश में जागरूकता में निश्चित कमियां हैं।

— प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया के सक्रिय सहभागी होना आंकड़ों में दिखता है। वर्ष 1962, 1971, 1980, 1991, 1996, 2004 और 2009 में लोक सभा के चयन में हमारा मतदान प्रतिशत 55 से 58 के बीच रहा है। शेष चुनावों में हमारा मतदान प्रतिशत 60 से 69 के बीच रहा। मतदान का यह प्रतिशत हमारे नागरिकों की प्रजातंत्र में आस्था की कमी का प्रमाण है।

— चुनाव में शुचिता की जवाबदारी प्रत्याशी पर कम और मतदाता पर अधिक है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के समय एक तथ्य प्रकाश में आता है कि अठारहवीं लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में 251 सदस्यों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। यह कुल सदस्य संख्या का 46 प्रतिशत है। इन 251 सदस्यों में से 27 को न्यायालय सजा सुना चुके हैं।

— कुछ शासकीय अभियानों के चलते स्थिति में सुधार हुआ है और भारत में भी स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद खुले में शौच, शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है। अनेक भारतीय शहरों और कस्बों में नागरिक समूह स्वयं सफाई अभियान चलाते हैं। नागरिक जागरूकता के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या यह है कि व्यक्तिगत स्वच्छता की भारतीय परंपरा बहुत मजबूत है, लेकिन सार्वजनिक स्वच्छता की नागरिक संस्कृति उतनी मजबूत नहीं बन पाई है। इसे एक वाक्य में इस प्रकार कहा जा सकता है “भारत में हम अपने घर को अपना मानकर साफ करते हैं, जबकि विकसित स्वच्छता-संस्कृति वाले समाज सार्वजनिक स्थान को भी अपना मानकर साफ रखते हैं।”

— भारत में कई सामाजिक अभियान समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनके प्रति पहले जैसी जन-उत्सुकता, निरंतरता और सामुदायिक भागीदारी कुछ क्षेत्रों में कम दिखाई देती है। खासकर वे अभियान, जो कुछ समय तक जनांदोलन का रूप लेते हैं और फिर सरकारी कार्यक्रम या औपचारिक आयोजन बन जाते हैं। भारत में जिन सामाजिक अभियानों की सक्रियता कम महसूस होती है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभिक दौर अत्यंत जन-उत्साही था। अब भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं। 2024 के स्वच्छता ही सेवा में 30 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी दर्ज हुई। लेकिन चुनौती यह है कि स्वच्छता को अभियान के दिनों से निकालकर रोजमर्रा के नागरिक व्यवहार में स्थायी बनाया जाए। जल बचाओ अभियान, वृक्षारोपण अभियान, नशामुक्ति अभियान दहेज-विरोधी अभियान, बाल-विवाह विरोधी अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा अभियान, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए,

धीमी गति से चलिए जैसे संदेश लगातार आते हैं, प्लास्टिक-विरोधी अभियान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, मोहल्ला समिति, सामूहिक श्रमदान, सामुदायिक सफाई, स्थानीय पुस्तकालय, सामूहिक खेल और पड़ोस की बैठकों जैसी गतिविधियाँ कई शहरों में कमजोर हुई हैं। डिजिटल संपर्क बढ़ा है, लेकिन भौतिक समुदाय का जुड़ाव कई जगह घटा है।

— नैतिकता के मापदंड तेजी से कम हुए हैं देश में। नागरिक अपने सही गलत काम को करवाने के लिए भ्रष्ट तरीकों को गलत नहीं मान रहा। ऐसा नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से एक भ्रष्ट राष्ट्र है लेकिन यह भी सत्य है कि सरकारी कार्यालयों में नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए रिश्वत एक आम बात है। पदस्थी प्रक्रिया हो निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग या मिलावट इन सभी में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार की निरंतर शिकायतें सामने आती रही हैं। यह स्थिति नागरिकों के सहयोग और विरोध को मुखर न कर पाने की प्रवृत्ति के कारण बनी है।

— मेरा क्या, मुझे क्या, देखा जायेगा से लेकर सब चलता है की मानसिकता के लिए नागरिक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। नैतिकता के निर्वहन की भारत में शर्त यह है कि सुविधाएँ बिना उत्तरदायित्व के, दोषारोपण बिना साझेदारी के, और व्यवस्था को कोसना बिना किसी सुधार के प्रयास के, भारतीय नागरिक की सबसे बड़ी कमी के रूप में सामने उपस्थित है।

राष्ट्र का चरित्र केवल बड़े कानूनों और नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिकों की रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से भी बनता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकना, पंक्ति में अपनी बारी का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील होना, सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन और शांति, हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करना, पानी और बिजली की बचत, पड़ोसियों के अधिकार और सुविधा का सम्मान, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और शांति बनाए रखना। डिजिटल माध्यमों पर अफवाह और अपमानजनक सामग्री न फैलाना, “मेरा काम हो गया” की जगह “सार्वजनिक हित क्या है?” की सोच विकसित करना। सभ्य समाज बड़े-बड़े भाषणों से नहीं, छोटी-छोटी आदतों से बनता है। “देशभक्ति केवल सीमा पर नहीं, रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखाई देती है।” ■

— मो. 9425011865

Email : deepak_bhasin35@hotmail.com

क्या है भारतीय नागरिकता ?

भा

रत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस समय सबसे बड़ा प्रश्न था — आखिर भारत का नागरिक कौन है? विभाजन के कारण लाखों लोग भारत और पाकिस्तान के बीच आ-जा रहे थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक समझा कि संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी 1950) यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसी उद्देश्य से संविधान के भाग ८ (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता का मूल ढांचा दिया गया। बाद में संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाकर नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त होने और उससे जुड़े सभी नियमों का विस्तृत कानून बनाया।

नागरिकता (Citizenship) किसी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच का कानूनी एवं संवैधानिक संबंध है। भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार, कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। याद रखें, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत में रहने और संविधान के संरक्षण का अधिकारी होता है।

अनुच्छेद 5, नागरिकता का मूल अनुच्छेद है। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास (Domicile) हो तथा वह इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो — भारत में जन्मा हो। उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। संविधान लागू होने से पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से निवास किया हो। अर्थात् नागरिकता के तीन आधार थे — जन्म, वंश और निवास। अनुच्छेद 6, देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लाखों लोगों के लिए बनाया गया। यदि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते थे और भारत में स्थायी रूप से बसना चाहते थे, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनके लिये अनुच्छेद 7 बनाया गया। उन्हें सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं माना गया। हालांकि पुनर्वास की अनुमति लेकर भारत लौटने वालों के लिए विशेष अपवाद रखा गया। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय मूल के थे, वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर निर्धारित शर्तों के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव स्थापित करता है। यदि कोई भारतीय अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि भारत पूर्ण दोहरी नागरिकता की

— कैलाश चन्द्र

व्यवस्था नहीं अपनाता। अनुच्छेद 10, नागरिकता की निरंतरता बताता है। जो व्यक्ति संविधान लागू होने पर भारतीय नागरिक था, उसकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन। अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता पर विस्तृत कानून बनाने का अधिकार दिया। इसी अधिकार के आधार पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया।

नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत का मुख्य नागरिकता कानून है। इसके अनुसार भारतीय नागरिकता पाँच प्रमुख तरीकों से प्राप्त की जा सकती है — 1. जन्म से 2. वंश से 3. पंजीकरण द्वारा 4. प्राकृतिककरण द्वारा (By Naturalisation) 5. किसी नए क्षेत्र के भारत में विलय होने पर। यही पाँच कानूनी आधार भारतीय नागरिकता प्रदान करते



हैं।

प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं —

1955 — नागरिकता अधिनियम लागू हुआ।

1986 — जन्म से नागरिकता के नियम अधिक कठोर किए गए।

1992 — वंश से नागरिकता संबंधी नियमों में संशोधन किया गया।

2003 — अवैध प्रवासी (पसमहंस डपहतंदज) की परिभाषा स्पष्ट की गई तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय पहचान रजिस्टर से संबंधित प्रावधान जोड़े गए।

2005 — (Overseas Citizen of India) की व्यवस्था प्रारंभ हुई। ध्यान रहे, OCI पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं है। ऋ धारक मतदान नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते और कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते।

2015 — PIO और OCI योजनाओं का एकीकरण किया गया।

2019 — नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) पारित हुआ। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक समुदायों के पात्र व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया।

2024 — CAA लागू करने के नियम अधिसूचित किए गए तथा पात्र व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

क्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण हैं?

यह सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड या आयकर रसीद है, तो वह स्वतः भारतीय नागरिक है। यह धारणा कानूनी रूप से सही नहीं है। इन सभी दस्तावेजों का उद्देश्य अलग-अलग है—आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए है। पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान के लिए है। राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए है। मतदाता पहचान-पत्र मतदान प्रक्रिया के लिए है। आयकर रसीद केवल यह बताती है कि किसी व्यक्ति ने कर का भुगतान किया है। इनमें से कोई भी दस्तावेज अपने-आप भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता। किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण केवल भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार किया जाता है। यदि किसी कारण से नागरिकता का प्रश्न उठता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध वैधानिक अभिलेखों, साक्ष्यों और कानून के अनुसार निर्णय करता है।

भारतीय संविधान का भाग—II नागरिकता की संवैधानिक नींव है, जबकि नागरिकता अधिनियम, 1955 उसका विस्तृत कानूनी स्वरूप है। संविधान ने यह निर्धारित किया कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक होगा और संसद को भविष्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। संसद ने इसी अधिकार का उपयोग कर नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था विकसित की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि भारतीय नागरिकता किसी पहचान-पत्र से नहीं, बल्कि संविधान और नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त होती है। आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या आयकर रसीद महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेज अवश्य हैं, पर वे स्वयं नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। नागरिकता का प्रश्न केवल कानून, वैधानिक अभिलेखों और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से तय होता है। यही संवैधानिक व्यवस्था भारत में विधि के शासन की आधारशिला है।

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
विविध सामाजिक-राष्ट्रीय विषयों पर लेखन)

कैसा हो आदर्श नागरिक?

आदर्श नागरिक वह नहीं जो केवल अपने अधिकारों की माँग करे, बल्कि वह है जो अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और निभाए। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान, सरकार और संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, उसकी वास्तविक शक्ति नागरिकों के चरित्र, विवेक और जिम्मेदारी में निहित होती है।

संक्षेप में एक आदर्श नागरिक संविधान और कानून का सम्मान करता है। नियमों का पालन केवल दंड के भय से नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन की आवश्यकता समझकर करता है। अपने अधिकारों के प्रति सजग और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है। वह स्वतंत्रता का उपयोग करता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता। मतदान को अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी मानता है। वह जाति, धर्म, भाषा, लालच या अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार और नीतियों को समझकर निर्णय लेता है। कशों का ईमानदारी से भुगतान करता है और सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखता है। स्वच्छता और पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाता है, सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, जल और बिजली बचाता है तथा पेड़-पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील रहता है।

लोकतंत्र में हर व्यक्ति का विचार एक जैसा होना आवश्यक नहीं। आदर्श नागरिक बहस करता है, लेकिन विरोधी विचार रखने वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करता। असहमति का सम्मान करता है। अफवाह और दुष्प्रचार से सावधान रहता है। सोशल मीडिया पर कोई संदेश देखकर तुरंत आगे भेजने के बजाय उसकी सत्यता जाँचता है।

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी रखता है। छोटी-सी सुविधा के लिए रिश्वत देना या नियम तोड़ना भी वह सामान्य व्यवहार नहीं मानता। कमजोर और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशील रहता है। आदर्श नागरिक की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। देश को केवल सरकार से नहीं जोड़ता। वह समझता है कि सड़क, विद्यालय, अस्पताल, नदी, पार्क, रेलवे, सार्वजनिक संस्थाएँ — सब उसकी भी सामूहिक संपत्ति हैं। विविधता में एकता को स्वीकार करता है। भाषा, क्षेत्र, जाति, संस्कृति और विचारों की विविधता को विभाजन नहीं, भारत की शक्ति मानता है। गलती होने पर उसे स्वीकार करने का साहस रखता है। आदर्श नागरिक केवल दूसरों से जवाबदेही नहीं माँगता, बल्कि स्वयं भी जवाबदेह रहता है।

आदर्श नागरिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह प्रश्न केवल नहीं पूछता कि “देश मेरे लिए क्या कर रहा है?”, बल्कि समय-समय पर स्वयं से यह भी पूछता है, “मैं अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ?” वास्तव में अच्छा नागरिक अच्छे शासन की पहली शर्त है। कानून बनाने वाली संस्थाएँ व्यवस्था दे सकती हैं, लेकिन उस व्यवस्था को जीवंत और सफल नागरिक ही बनाते हैं। आदर्श नागरिक की संक्षिप्त परिभाषा शायद यह हो सकती है “जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार, अपने व्यवहार में संवेदनशील, अपने निर्णयों में विवेकशील और राष्ट्रहित के प्रति जिम्मेदार हो—वही आदर्श नागरिक है।”

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

रा

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में देश में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। यह भारतीय सरकार का एक प्रयास है जिसके तहत नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के अनुसार अवैध अप्रवासियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित किया जाता है। राष्ट्रव्यापी एनआरसी का गठन केवल एक बार 1951 की जनगणना के बाद हुआ था। एनआरसी का गठन नागरिकता अधिनियम, 1955 के 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के सभी वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि अवैध अप्रवासियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित किया जा सके। इसे असम राज्य में 2013-2014 से लागू किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में इसे देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में, केवल असम में ही ऐसा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में अनिवार्य किया था और जिसकी निगरानी भी वही करता है। राष्ट्रीय जनगणना (एनआरसी) के लिए नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। असम में एनआरसी लागू होने के बाद से, इसे पूरे देश में लागू करने की मांग लगातार बढ़ रही है।

भारत में राष्ट्रीय नागरिकता गणना (एनआरसी) की आवश्यकता अवैध प्रवासन और नागरिकता सत्यापन संबंधी चिंताओं के कारण महत्वपूर्ण बहस और विवाद का विषय रही है। एनआरसी का उद्देश्य सभी वैध नागरिकों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है, जिससे अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय के हलफनामे में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 1964 और 1965 के बीच 45 लाख से अधिक लोग बिना यात्रा दस्तावेजों के पूर्वी पाकिस्तान से भारत चले गए। अवैध अप्रवासन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनआरसी) संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, मणिपुर और असम में हिंसा की घटनाएं मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों के आगमन के कारण देखी गई हैं। यह सुनिश्चित करके कि केवल कानूनी नागरिक ही सरकारी लाभों और अवसरों के पात्र हों, एनआरसी अधिक न्यायसंगत समाज



बनाने में मदद कर सकता है। 1946 का विदेशी अधिनियम सरकार को वैध दस्तावेजों के बिना विदेशियों को निष्कासित करने का अधिकार देता है। यह अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने की कानूनी जिम्मेदारी को दर्शाता है। असम जैसे कुछ राज्यों में, यह चिंता है कि अवैध आप्रवासन स्वदेशी समुदायों के विस्थापन का कारण बन रहा है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को इन चिंताओं को दूर करने और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। भारत में अवैध प्रवासियों का आगमन, विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, चिंता का एक प्रमुख कारण है। इनमें से कई अवैध अप्रवासी फर्जी पहचान के तहत रहते हैं, और कहा जाता है कि उनमें से कई कुछ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) वर्तमान में केवल असम राज्य में ही लागू और अपडेट किया गया है, जहाँ अंतिम सूची में लगभग 19 लाख लोग बाहर हो गए थे। पूरे देश में इसे लागू करने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक और देशव्यापी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, हालांकि मणिपुर में आगामी जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर हाल ही में तेज प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल देखी गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर अभी कोई नया निर्देश या समय-सारणी जारी नहीं की है। नागरिकता और दस्तावेजों (जैसे पासपोर्ट या आधार) की वैधता को लेकर अदालती बयानों पर राजनीतिक चर्चाएं समय-समय पर होती रहती हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) — के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पात्र देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पात्र समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है)। वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं इसके पात्र हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या भारतीय नागरिकता पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाता है।

असम में एनआरसी — असम में राष्ट्रीय नियंत्रण गणना (एनआरसी) की जड़ें स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) से राज्य में हुए बड़े पैमाने पर प्रवासन के

जटिल इतिहास में निहित हैं, जिससे असम की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक पहचान के बारे में तनाव और चिंताएं पैदा हुईं। इसका उद्देश्य 24 मार्च, 1971 तक असम में रहने वाले वास्तविक नागरिकों की पहचान करना और आग्रजन संबंधी चिंताओं का समाधान करना है। पिछले कुछ वर्षों में, असम में अवैध प्रवासन देखा गया है, जिसकी अनुमानित संख्या इसकी 26 मिलियन आबादी में से लगभग 6 मिलियन है, जिससे सामाजिक-राजनीतिक जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। 1978 में, अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) ने अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, जिससे ऐतिहासिक असम आंदोलन का जन्म हुआ। 1985 में असम समझौते पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 24 मार्च, 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने का वादा किया गया था। असम में राष्ट्रीय जनगणना (एनआरसी) का अद्यतन 1955 के नागरिकता अधिनियम और 1985 के असम समझौते के तहत अवैध बांग्लादेशी प्रवासन की पहचान करने के लिए किया गया था। एनआरसी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2013 में शुरू हुई थी जो 2019 को पूरी हुई। एनआरसी को अद्यतन किया गया ताकि उसमें उन व्यक्तियों (या उनके वंशजों) के नाम शामिल किए जा सकें जो उसमें दर्ज हैं। एनआरसी में, 1951, या 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक किसी भी मतदाता सूची में या 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक जारी किए गए किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज में, जो 24 मार्च 1971 को या उससे पहले असम या भारत के किसी भी हिस्से में उनकी उपस्थिति को साबित करता हो। 31 अगस्त, 2019 को अद्यतन अंतिम एनआरसी जारी किया गया, जिसमें 19 लाख से अधिक आवेदक सूची में जगह बनाने में असफल रहे। जो निवासी इस सूची में शामिल नहीं हैं, वे विदेशी न्यायाधिकरणों के साथ—साथ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर कर सकते हैं। (एनआरसी) सूची से बाहर रह गए व्यक्तियों के पास विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने का विकल्प है। उन्हें अपील दाखिल करने के लिए 120 दिन का समय दिया जाता है, और राज्य उनके मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करता है। केवल विदेशी न्यायाधिकरणों को ही 1946 के विदेशी अधिनियम और 1964 के विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। जिन लोगों को बाहर रखा गया है, उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च, 1971 को या उससे पहले भारत के नागरिक थे। वे अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और सबूत पेश कर सकते हैं। यदि न्यायाधिकरण का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अंतिम राष्ट्रीय जनगणना से बाहर किए गए लोगों को विदेशी न्यायाधिकरणों के फैसले आने तक तत्काल हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, भारत का बांग्लादेश के साथ कोई औपचारिक प्रत्यावर्तन संधि नहीं है,

जिससे प्रत्यर्पण प्रक्रिया में बाधा आ रही है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट इस सूची में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने और इसके पुनः सत्यापन की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र व असम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर 'रिजेक्शन स्लिप' (अस्वीकृति पर्ची) न मिलने के कारण प्रक्रिया कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ पाई है। असम सरकार ने एनआरसी में शामिल न होने वाले संदिग्ध आधार कार्डधारकों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने की घोषणा की है।

नजरबंदी केंद्र — विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(सी) के अनुसार, केंद्र सरकार उन विदेशी देशों के लोगों को निर्वासित कर सकती है जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत के अंतिम राष्ट्रीय सीमा गणना और विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा बड़ी संख्या में अवैध विदेशियों को रखे जाने की संभावित आवश्यकता को देखते हुए, सरकार पूरे भारत में कई निरोध शिविरों का निर्माण कर रही है। पहला निरोध केंद्र 2008 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान असम में स्थापित किया गया था। 2014 में, केंद्र ने सभी राज्यों को अवैध अप्रवासियों के लिए कम से कम एक निरोध केंद्र स्थापित करने के लिए कहा था ताकि उन्हें जेल के कैदियों के साथ न मिलाया जाए। 2018 में कार्यकर्ताओं ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और असम के छह मौजूदा हिरासत केंद्रों में अलग-अलग बंद परिवारों की दयनीय स्थिति को न्यायालय के संज्ञान में लाया। 9 जनवरी 2019 को, केंद्र सरकार ने '2019 मॉडल डिटेंशन मैनुअल' जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक शहर या जिले में, जहां एक प्रमुख आग्रजन चेक पोस्ट है, एक हिरासत केंद्र होना चाहिए। दिशानिर्देशों में कांटेदार तारों से ढकी 10 फीट ऊंची चारदीवारी वाले हिरासत केंद्रों का सुझाव दिया गया है। इसमें जेल और हिरासत केंद्र के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया गया है।

दिल्ली डिटेंशन सेंटर दिल्ली में तीन स्थानों पर फैला हुआ है, जहाँ निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशियों को रखा जाता है। दिल्ली के लामपुर स्थित केंद्रों में से एक का संचालन विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के अधीन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा पाकिस्तानी नागरिकों को रखने वाले वार्ड की निगरानी करती है, जबकि अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग एफआरआरओ की निगरानी में हैं। एफआरआरओ और दिल्ली पुलिस दोनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। मापुसा स्थित गोवा डिटेंशन सेंटर मई 2019 में विदेशियों के लिए खोला गया था। कर्नाटक डिटेंशन सेंटर का निर्माण बैंगलोर से 40 किमी दूर स्थित नेलमंगला के सोन्डेकोप्पा में चल रहा है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के नेरुल में महाराष्ट्र डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। पंजाब डिटेंशन सेंटर वर्तमान में तरन तारन जिले के गोइंदवाल साहिब में बनाया जा रहा है। राजस्थान डिटेंशन सेंटर अलवर में केंद्रीय जेल के परिसर में स्थित है। ■

एनआरसी व एनपीआर में अंतर

रा

ष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) भारत के किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर है, जिसमें नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल होते हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी रखने वाला रजिस्टर है। एनपीआर, नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि किसी इलाके में कम से कम छह महीने से रह रहे और अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक वहां रहने की योजना बना रहे निवासियों को एनपीआर सूची में शामिल किया जाता है। इसमें छह महीने से अधिक समय तक किसी इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिक का भी रिकॉर्ड होता है। एनपीआर एक जनसंख्या रजिस्टर है, न कि एनआरसी की तरह नागरिक रजिस्टर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2014 को जारी किया गया था, कहा कि 'एनपीआर प्रत्येक सामान्य निवासी की नागरिकता स्थिति को सत्यापित करके भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के निर्माण की दिशा में पहला कदम

है।' भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' को एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नागरिकता नियम, 2003 के अनुसार, केंद्र एनपीआर तैयार करने और एनपीआर में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर एनआरसी बनाने का आदेश जारी कर सकता है। 2003 के नागरिकता नियमों के अनुसार, स्थानीय अधिकारी तब यह तय करेंगे कि व्यक्ति का नाम एनआरसी में जोड़ा जाएगा या नहीं, जिससे उसकी नागरिकता की स्थिति का निर्धारण होगा। पूरे भारत में इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए किसी नए नियम या कानून की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने संसद में कई बार कहा है कि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) या एनआरसी, प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता स्थिति के सत्यापन के बाद, एनपीआर के तहत एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। 2010 में, भारत के 119 करोड़ निवासियों के नामों के साथ पहली बार एनपीआर बनाया गया था। इस डेटा को 2015 में आधार डेटाबेस से बायोमेट्रिक जानकारी को जोड़कर अपडेट किया गया था। नये एनपीआर में माता-पिता के जन्म स्थान, अंतिम निवास स्थान और आधिकारिक दस्तावेजों की सीरियल नंबर जैसी अधिक जानकारी भी शामिल होगी। ■

घुसपैठ से निपटने के वैश्विक तरीके

घुसपैठ या अवैध रूप से सीमा पार करने को लेकर विभिन्न देशों के कानून और नीतियां अलग-अलग हैं। यह एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का संतुलन बनाया जाता है। कुछ प्रमुख देशों के दृष्टिकोण और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार हैं:

— संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवेश के विरुद्ध कड़े कानून हैं। सीमा पर पकड़े गए व्यक्तियों को आमतौर पर 'डिटेंशन सेंटर' (हिरासत केंद्रों) में रखा जाता है। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं होते, उन्हें त्वरित निष्कासन प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे अपने देश में उत्पीड़न का डर है, तो वह आश्रय के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी और कठोर होती है।

— ऑस्ट्रेलिया की सीमा नीति, दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है, जिसे 'ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स' के तहत संचालित किया जाता है। जो लोग नावों के जरिए अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, उन्हें कभी भी ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति नहीं दी जाती। इन लोगों को अक्सर नौरु या पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों में बने डिटेंशन केंद्रों में भेज दिया जाता है। वहां उनके आवेदनों की समीक्षा होती है, लेकिन उन्हें मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया में रहने का अधिकार नहीं मिलता।

— यूरोपीय संघ के देशों में 'डबलिन रेगुलेशन' लागू होता है। इस नियम के अनुसार, जिस यूरोपीय देश में शरणार्थी पहली

बार प्रवेश करते हैं, उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वह शरण के आवेदनों पर निर्णय ले। हाल के वर्षों में कई यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाओं पर बाड़ और गश्त बढ़ा दी है ताकि अवैध प्रवासियों को रोका जा सके।

— इजराइल की नीतियां अत्यधिक कड़ी हैं। इन्होंने अपनी सीमाओं पर उच्च तकनीक वाली बाड़ लगा रखी हैं। जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, उन्हें हिरासत में लिया जाता है और बाद में उन्हें वापस उनके देश या किसी तीसरे देश में भेजने का प्रयास किया जाता है।

सभी देशों में अवैध प्रवासियों से निपटने के कानून और विधान हैं। पहला सबसे पहले व्यक्ति की राष्ट्रीयता का पता लगाया जाता है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक, उन्हें हिरासत में रखा जाता है। यदि उनका दावा (शरणार्थी या वैध निवासी) खारिज हो जाता है, तो उन्हें उनके मूल देश वापस भेज दिया जाता है। कई देशों में अवैध रूप से प्रवेश करना एक आपराधिक अपराध माना जाता है, जिसके लिए जेल की सजा भी हो सकती है। विश्व के लगभग सभी देश अपनी सीमाओं की रक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, किसी भी कार्यवाही में अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 'गैर-वापसी का सिद्धांत' यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसके जीवन को गंभीर खतरा हो। इसी कारण से हर देश को 'अवैध घुसपैठिए' और 'शरणार्थी' के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट करना पड़ता है। ■

संविधान की प्रस्तावना : नागरिक जीवन का मार्गदर्शक

भा

रातीय संविधान की प्रस्तावना केवल संविधान की भूमिका नहीं है, वह उस भारत की संक्षिप्त परिकल्पना है, जिस हमारे संविधान-निर्माताओं ने राष्ट्र के रूप में देखा था। इसमें भारत के राज्य की प्रकृति, नागरिकों के लिए उसके मूल आदर्श और लोकतांत्रिक जीवन की दिशा, तीनों का सार समाहित है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का दिशासूचक ही नहीं, बल्कि नागरिक जीवन का नैतिक मार्गदर्शक भी कहा जा सकता है।

“हम, भारत के लोग” — प्रस्तावना के ये आरंभिक शब्द ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। सत्ता का अंतिम स्रोत कोई राजा, सरकार या संस्था नहीं, बल्कि जनता है। नागरिक इसलिए केवल शासन के लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के सक्रिय सहभागी हैं। प्रस्तावना भारत को “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य” घोषित करती है। इन शब्दों को केवल संवैधानिक विशेषण समझना प्रस्तावना की आत्मा को सीमित करना होगा। इनका सीधा संबंध हमारे दैनिक नागरिक जीवन से है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव में मतदान करना नहीं, बल्कि असहमति का सम्मान करना, संवाद बनाए रखना और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाना भी है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ केवल राज्य की धार्मिक निष्पक्षता नहीं, बल्कि दूसरे की आस्था और स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। प्रस्तावना नागरिक को चार महान जीवन-मूल्य प्रदान करती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय हमें यह सोचने की प्रेरणा देता है कि हमारे आसपास किसी व्यक्ति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। स्वतंत्रता हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की आजादी का महत्व समझाती है। समानता बताती है कि कानून और अवसरों के सामने नागरिक का सम्मान समान होना चाहिए और बंधुता इन सभी मूल्यों को सामाजिक जीवन से जोड़ती है, क्योंकि अधिकारों का समाज तभी स्वस्थ हो सकता है, जब नागरिक एक-दूसरे को सम्मान दें। विशेष रूप से बंधुता का आदर्श आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, विचारधारा और

राजनीतिक मतभेदों के बीच सामाजिक सौहार्द बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। सोशल मीडिया पर किसी अफवाह को आगे न बढ़ाना, असहमति रखने वाले व्यक्ति को शत्रु न समझना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और कमजोर व्यक्ति की सहायता करना, ये सभी संविधान की भावना को व्यवहार में उतारने के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रस्तावना हमें यह भी याद दिलाती है कि अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना होगा। यदि हम समानता चाहते हैं तो भेदभाव से बचना होगा। यदि हम न्याय चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी न्यायपूर्ण होना होगा। इस दृष्टि से संविधान की प्रस्तावना न्यायालयों और संसद की दीवारों तक सीमित कोई कानूनी पाठ नहीं है। वह विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नागरिक तक, हर व्यक्ति के लिए एक मूल्य-दर्पण है। वह बार-बार पूछती है, हम जिस भारत की कल्पना संविधान में करते हैं, क्या हमारे आचरण में वही भारत दिखाई देता है ?

आज जब लोकतंत्र का विस्तार डिजिटल दुनिया तक हो गया है, प्रस्तावना की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदार अभिव्यक्ति, समानता के साथ सम्मान, स्वतंत्रता के साथ अनुशासन और लोकतंत्र के साथ संवाद, ये आधुनिक नागरिकता के अनिवार्य तत्व हैं। अंततः संविधान की प्रस्तावना हमें केवल यह नहीं बताती कि भारत कैसा होना चाहिए, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भारतीय नागरिक को कैसा होना चाहिए। एक ऐसा नागरिक जो स्वतंत्र हो, लेकिन स्वच्छंद नहीं, अधिकार-संपन्न हो, लेकिन कर्तव्य-विमुख नहीं, अपन विचारों पर दृढ़ हो, लेकिन दूसरे के विचारों के प्रति असहिष्णु नहीं। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश-द्वार भर मानना पर्याप्त नहीं। वह भारतीय नागरिक जीवन की दिशा, दृष्टि और मूल्य-चेतना है। जब प्रस्तावना के शब्द हमारे व्यवहार का हिस्सा बनेंगे, तभी संविधान वास्तव में केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवंत नागरिक संस्कृति बनेगा।

सार्वजनिक संपत्ति हमारी ही है

सार्वजनिक संपत्ति वास्तव में करदाताओं और नागरिकों के सामूहिक संसाधनों से निर्मित संपत्ति है, इसलिए उसे नुकसान पहुँचाना अंततः अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुँचाना है। सड़कें, पुल, पार्क, सरकारी विद्यालय और अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बसें, सार्वजनिक परिवहन और प्रतीक्षालय, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय और जल-सुविधाएँ, सरकारी कार्यालय और उनकी सुविधाएँ, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारक, सार्वजनिक पुस्तकालय और खेल मैदान, दीवारों पर लिखना, तोड़फोड़ और कूड़ा फैलाना, सार्वजनिक नल, बिजली और जल-स्रोतों का दुरुपयोग, विरोध-प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की

रक्षा, बच्चों में सार्वजनिक संपत्ति के प्रति स्वामित्व-बोध विकसित करना मुख्य बिंदु हैं जिनपर विचार आवश्यक है। “जो चीज सरकार की है, वह जनता की भी है, और जो जनता की है, उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।” “जिस सड़क पर हम चलते हैं, जिस पार्क में हमारे बच्चे खेलते हैं और जिस अस्पताल में हमारा समाज इलाज पाता है, वह सब हमारा है।” “सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए किसी पुलिसकर्मी की निगरानी से अधिक जरूरी है नागरिक के भीतर यह भावना जागना कि यह देश मेरा है, इसलिए इसकी संपत्ति भी मेरी है।” ■

नागरिक, करदाता और देश का विकास

एक अंतर स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि आयकर विवरणी प्रस्तुत करने वाला नागरिक और “वास्तव में आयकर देने वाला” एक ही व्यक्ति नहीं हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़े देखें तो आयकर रिटर्न दाखिल हुए 9.19 करोड़, जिनमें 8.64 करोड़ रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन हुआ। इन सत्यापित रिटर्न में से एक करोड़ से अधिक अधिक आय घोषित करने वाले लगभग 3.24 लाख थे। दूसरी तरफ जीएसटी पंजीकृत करदाता लगभग 1.51 करोड़ हैं जो जीएसटी लागू होने के समय लगभग 65 लाख थे। ये 9.19 करोड़ आयकरदाता नहीं हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी कर-देयता शून्य है, जिन्हें रिफंड मिलता है, या जिन्होंने विभिन्न कारणों से रिटर्न दाखिल किया है। उदाहरण के लिए, 9.19 करोड़ रिटर्नों में लगभग 4.19 करोड़ लोगों ने रु. 5 लाख से कम आय घोषित की थी। दूसरी ओर, लगभग 1.5 करोड़ बैंक पंजीकृत करदाता औपचारिक अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त करोड़ों उपभोक्ता जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व में योगदान करते हैं। जीएसटी पंजीकृत 1.51 करोड़ इकाइयों में भी कंपनियाँ, फर्म, संस्थाएँ और अन्य व्यावसायिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं। एक मोटे अनुमान पर देश की जनसँख्या में वास्तविक प्रत्यक्ष आयकर देने वालों का आंकड़ा लगभग दो से सवा दो प्रतिशत आता है। लेकिन यहाँ “प्रत्यक्ष कर” और “आयकर” को अलग रखना होगा। वर्ष 2024-25 में भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह रु. 22.26 लाख करोड़ था। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी सम्मिलित है। सीबीडीटी के अनुसार इसमें रु. 9.87 लाख करोड़ कॉर्पोरेट और रु. 12.35 लाख करोड़ नॉन कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स थे।

जब देश की 147 करोड़ आबादी के सामने जब आयकरदाताओं की संख्या रखी जाती है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या देश की इतनी बड़ी आबादी में वास्तव में केवल लगभग दो प्रतिशत लोग ही आयकर देते हैं? इसका उत्तर सीधा “हाँ” नहीं है। आयकर विभाग के नवीनतम टाइम-सीरीज आंकड़े बताते हैं कि भारत में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है। लेकिन रिटर्न दाखिल करना अपने-आप में कर भुगतान का प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग रिटर्न इसलिए भी दाखिल करते हैं क्योंकि उनकी आय पर कर देयता नहीं बनती, उन्हें रिफंड लेना होता है या किसी वित्तीय/कानूनी आवश्यकता के कारण रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है।

आयकर देने वालों की संख्या कम होने के कारण हैं। भारत की आय-वितरण संरचना। देश की बड़ी आबादी की आय अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचती जहाँ व्यक्तिगत आयकर देय हो। आयकर कानून में निर्धारित छूट, कटौती और रिबेट के कारण अनेक निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों पर अंतिम

रूप से कोई आयकर देय नहीं बनता। उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध व्यवस्था में पात्र निवासी व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था के अंतर्गत रु. 7 लाख तक की कुल आय पर धारा 87। की रिबेट उपलब्ध थी। दूसरा कारण है भारत की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। करोड़ों लोग छोटे व्यापार, कृषि, दिहाड़ी, घरेलू काम, स्वरोजगार और अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। इन गतिविधियों का एक हिस्सा औपचारिक बैंकिंग, लेखांकन और कर-प्रणाली के बाहर या उसके सीमित दायरे में रहता है। ऐसे में हर व्यक्ति की वास्तविक आय का नियमित और पूर्ण आकलन करना कठिन होता है। तीसरा कारण है कि भारत में कृषि आय पर केंद्रीय आयकर सामान्यतः नहीं लगाया जाता। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी आबादी इसलिए व्यक्तिगत आयकर दायरे में उसी तरह नहीं आती जैसे वेतनभोगी या गैर-कृषि व्यवसाय से आय अर्जित करने वाले लोग। हमारा देश एक युवा देश है। हमारी कुल आबादी में बच्चे, विद्यार्थी और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी कोई करयोग्य व्यक्तिगत आय नहीं है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में लगभग हर उपभोक्ता किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष कर देता है और वस्तु की कीमत में सम्मिलित जीएसटी के माध्यम से वह अप्रत्यक्ष रूप से कर व्यवस्था में योगदान करता है।

अर्थात् एक व्यक्ति प्रत्यक्ष आयकर न देता हो, फिर भी वह देश के राजस्व में योगदान कर सकता है। इसी कारण “सिर्फ दो प्रतिशत भारतीय ही कर देते हैं” कहना नागरिकों के आर्थिक योगदान को बहुत संकीर्ण रूप में देखना होगा। इसलिए भारत को केवल “अधिक करदाता” नहीं, बल्कि बेहतर कर संस्कृति की आवश्यकता है, जहाँ नागरिक अपनी वास्तविक आय घोषित करें, व्यवसाय सही बिल दें, उपभोक्ता बिल माँगें और सरकार कर के उपयोग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करे। कर भुगतान को केवल सरकार को पैसा देना समझना पर्याप्त नहीं है। कर से प्राप्त राजस्व के माध्यम से सड़कें, रेल, विद्यालय, अस्पताल, रक्षा व्यवस्था, न्यायिक संस्थाएँ, डिजिटल अवसंरचना और अनेक सामाजिक योजनाएँ संचालित होती हैं। इसलिए करदाता वास्तव में राष्ट्र की सार्वजनिक व्यवस्था में अपना आर्थिक हिस्सा डालता है। लेकिन इसके साथ सरकार की भी जिम्मेदारी जुड़ी है, करदाता को यह अनुभव होना चाहिए कि उसका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार और अपव्यय पर नियंत्रण है तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। भारत की चुनौती यह नहीं है कि “केवल दो प्रतिशत लोग कर देते हैं।” वास्तविक चुनौती है, कर आधार को व्यापक बनाना, कर चोरी को कम करना, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और ईमानदार कर भुगतान को नागरिक गौरव का विषय बनाना। ■

शुक्र मनाये - आप भारत के नागरिक हैं

ई

श्वर का धन्यवाद है, हमारे देश में मैसोडोनिया का अल्बानियाई विद्रोह, इज्यारी गृहयुद्ध, इराक युद्ध, यमन में हूती विद्रोह, चाड गृहयुद्ध, इराकी गृहयुद्ध, फतह-हमास संघर्ष (फिलिस्तीन), दक्षिण यमन उग्रवाद, तजाकिस्तान उग्रवाद, म्यांमार सीमा संघर्ष लीबिया के गृहयुद्ध, इराकी विद्रोह, माली में टुअरेग विद्रोह, उत्तरी माली में संघर्ष, कांगो विद्रोह, जैसी स्थितियां नहीं हैं। आम तौर पर भारत एक शांत देश है। नक्सलवाद का निर्धारित समय से पूर्व सफाया हो चुका है। एक संतुलित विदेश नीति हमारी विशेषता है, विश्व के झंझावातों में हम अमेरिका के मित्र हैं तो रूस के रक्षा उत्पादनों के हम बड़े खरीदार हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार के समय जो लोग हमें बांग्लादेश पर चढ़ाई करने की सलाह देते थे वे यूक्रेन और रूस युद्ध को भूल गए। हमारे विदेश मंत्री के यूरोप पर बयान हमारे एक सशक्त राष्ट्र होने का स्पष्ट संकेत हैं।

धन्य हैं हम भारतीय जहाँ पर एक पार्टी की सत्ता नहीं है जैसे चीन में है। नागरिक स्वतंत्रता की जो स्थिति अफगानिस्तान में है जहाँ महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है और कोरिया जहाँ किसी नेता के पिता की बरसी के सम्मलेन में किसी नागरिक के मुख पर मुस्कान देखकर उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। धन्य होने का भाव है भारतीय होना जहाँ पर स्वतंत्रता इतनी है कि देश के शीर्षस्थ नेतृत्व को अपमानजनक नामों से सम्बोधित करने की सुविधा है। दक्षिण कोरिया में यह सोचना भी पाप है, जान तक जा सकती है। जिस वर्ष में भारत अपना संविधान बना रहा था उसके एक वर्ष बाद एक फौजी पाकिस्तान में सत्ता पर अधिकार कर चुका था। श्रीलंका में एक ही परिवार के शासन का अंत हम देख चुके। प्रति एक हजार आबादी पर उपलब्ध पुलिस बल देखें तो भारत में यह आंकड़ा 2.4 है जो ईराक में 9.9, फ्रांस में 4.4 और रूस में 5.8 है। इसका कारण है भारतीय समाज में आपसी जुड़ाव, झगड़े आपस में बैठकर निपटाने का स्वभाव।

चिकित्सा सुविधाओं में कमियां गिनाने के पूर्व हमें स्मरण

रखना होगा, अमेरिका में एक एमबीबीएस से अपॉइंटमेंट का समय एक से 4 हफ्ते और विशेषज्ञ से मिलने का अर्थ है कम से कम तीन माह की प्रतीक्षा आवश्यक है। जिस डॉक्टर के पास हमें एक घंटे की प्रतीक्षा और 500 से 1500 की फीस अखरती है, अमेरिका में वही फीस 5,000 से 50,000 है। हमारे आधे केमिस्ट अनुभव के आधार पर मरीज द्वारा दवा मांगने पर दे देते हैं, अमेरिका में केमिस्ट सरदर्द की गोली का भी डॉक्टर का लिखा परचा मांगता है।

एक बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुवैशीय देश में हमने अनेक लोगों को लोक सभा में बैठकर देश के भविष्य पर चर्चा करते देखा है। जातियों के बीच सामंजस्य कभी खराब हुआ तो उसे सुलझाया गया है हमने फ्रांस जैसी सड़कों पर बवाल और देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को लपटों में नहीं देखा, हमने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन होते देखा है। हमने अकाल देखे हैं, अनाज दान में विदेशों से आता देखा है, लेकिन हमने चीन का ध्यानमन चौक नहीं देखा, हमने आपातकाल भी देखा लेकिन एक वोट से सरकार गिरती भी देखी है। हमने हरियाणा का मेहम का चुनाव देखा लेकिन हमने बढ़ता मतदान प्रतिशत भी देखा। हमने अमेरिका का लाल गेहूं भी देखा और करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिलते भी देखा है। हमारी जैव विविधता विश्व में अनूठी है, हमारे पास जैसलमेर के तपते रेगिस्तान हैं तो उत्तराखंड में बर्फ से ढंके ग्लेशियर हैं। हमारे पास इतिहास है, परम्पराएं हैं, जिनमें से कुछ यूनेस्को की हेरिटेज सूची में हैं।

एक गीत की पंक्तियाँ प्रासंगिक हैं, “जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है”। भारत एक अखंडित परम्पराओं, विश्वासों और आशाओं का देश है। खेलों, खोजों और सामाजिक सारोकार, पारिवारिक जुड़ाव, संबंधों की घनिष्टता, साहस और जिजीविषा इस देश के मानस का केंद्र हैं। इस देश का नागरिक होना एक धन्य होने का अहोभाव है।■

श्रेष्ठ नागरिक

बाबा बलिया ओडिशा राज्य के एक आध्यात्मिक गुरु और उपदेशक हैं। वे एक समाज सुधारक हैं जो अंधविश्वासों को दूर करने, समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को समर्थन जुटाने, बाल विवाह का विरोध करने और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने और इसी तरह की कई गतिविधियों में लगे हुए हैं। बाबा बलिया द्वारा किए गए कार्य हैं : समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लड़कियों के दहेज-मुक्त विवाहों का आयोजन करना। विधवाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के लिए अभियान, सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना कि सांप के काटने से ठीक

बाबा बलिया

होने के लिए जादूगरों की मदद लेने के बजाय चिकित्सकीय सहायता लें। ओडिशा के दुर्गम तटीय क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों का आयोजन करना। वनों की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण की वकालत करना लोकनट्या, पाला और संकीर्तन जैसी पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत शैलियों के पुनरुद्धार और प्रचार-प्रसार के लिए काम करना। वर्ष 2022 में, भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री प्रदान किया। यह पुरस्कार ओडिशा के गरीब और पिछड़े समुदायों के साथ काम करने वाले सामाजिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में उनकी सेवा की मान्यता में दिया गया है।■

डिजिटल नागरिकता और नागरिक उत्तरदायित्व

आ

ज नागरिकता केवल सड़क, बाजार, विद्यालय, कार्यालय और मतदान केंद्र तक सीमित नहीं है। हमारी डिजिटल गतिविधियाँ भी हमारे नागरिक चरित्र का हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लिखा गया एक वाक्य, साझा की गई एक तस्वीर, भेजा गया एक वीडियो या आगे बढ़ाया गया कोई संदेश हजारों—लाखों लोगों तक कुछ ही क्षणों में पहुँच सकता है। इसलिए डिजिटल संसार में भी अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का बोध आवश्यक है। डिजिटल नागरिकता का अर्थ है, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित, विवेकपूर्ण, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग। एक अच्छा डिजिटल नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजगता के साथ, दूसरों की निजता, गरिमा और अधिकारों का भी सम्मान करता है।

सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। अब कोई व्यक्ति केवल सूचना का उपभोक्ता नहीं, बल्कि सूचना का निर्माता और प्रसारक भी है। किसी समाचार को साझा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह सत्य, संदर्भपूर्ण और विश्वसनीय है या नहीं। बिना पुष्टि के अफवाह फैलाना, भ्रामक तस्वीर या वीडियो साझा करना अथवा किसी व्यक्ति के बारे में अपुष्ट आरोप प्रसारित करना केवल डिजिटल लापरवाही नहीं, बल्कि सामाजिक नुकसान का कारण बन सकता है। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका अर्थ किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाने या झूठी सूचना फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक, असहमति में भी शालीन भाषा का प्रयोग करता है, व्यक्तिगत आक्षेप से बचता है, अफवाह को आगे नहीं बढ़ाता, तथ्य और राय के बीच अंतर समझता है,

किसी की निजी तस्वीर या जानकारी बिना अनुमति साझा नहीं करता, बच्चों और संवेदनशील व्यक्तियों की डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखता है और घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री से दूरी रखता है। एक जिम्मेदार नागरिक को किसी संदेश को आगे भेजने से पहले कम-से-कम तीन प्रश्न पूछने चाहिए, क्या यह सच है? इसका स्रोत क्या है? और इसे साझा करने से किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान तो नहीं होगा? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो संदेश को आगे न बढ़ाना ही बेहतर नागरिक व्यवहार है।

डिजिटल दुनिया में हमारी निजी जानकारी अत्यंत मूल्यवान है। हमें दूसरों की निजता का भी सम्मान करना चाहिए। किसी की बातचीत का स्क्रीनशॉट, निजी फोटो या व्यक्तिगत जानकारी उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक करना डिजिटल शिष्टाचार के विरुद्ध है। सोशल मीडिया लोकतंत्र को अधिक सहभागी बना सकता है। नागरिक सरकार की नीतियों पर अपनी राय रख सकते हैं, समस्याएँ उठा सकते हैं, सामाजिक अभियानों से जुड़ सकते हैं और जनहित के मुद्दों पर संवाद कर सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक संवाद तभी स्वस्थ रहेगा जब बहस विचारों पर हो, व्यक्तियों के अपमान पर नहीं, तथ्य सामने रखे जाएँ, अफवाहें नहीं।

डिजिटल नागरिक के पाँच संकल्प होने चाहिए, देखूँगा, परखकर लिखूँगा, सोचकर साझा करूँगा, सत्यापित करके असहमत होऊँगा, सम्मान के साथ और निजता की रक्षा करूँगा, अपनी भी और दूसरों की भी। नागरिक शिष्टाचार की आवश्यकता सड़क पर जितनी है, सोशल मीडिया पर भी उतनी ही है। आज के समय में अच्छे नागरिक की पहचान के लिये यह भी देखा जाएगा कि वह डिजिटल मंच पर कितना जिम्मेदार, संयमित, सत्यनिष्ठ और संवेदनशील है। ■

श्रेष्ठ नागरिक

पार्वती बरुआ

असम के गौरीपुर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती पार्वती बरुआ भारत की पहली महिला हाथी महावत और पशु कल्याण की प्रबल समर्थक के रूप में उभरीं। 14 मार्च, 1953 को जन्मी पार्वती ने बचपन से ही हाथियों और वन्य जीवन के प्रति गहरी लगन दिखाई और समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए उस क्षेत्र में कदम रखा जिसे परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व प्राप्त था। उनकी यात्रा 14 वर्ष की आयु में शुरू हुई जब उन्होंने असम के कोचुगाँव के जंगलों में सफलतापूर्वक अपने पहले हाथी को पालतू बनाया। वर्षों से, श्रीमती बरुआ ने पाँच सौ से अधिक हाथियों को वश में किया है, और जंगली हाथियों को बेहोश करने वाली बंदूकों का उपयोग किए बिना पकड़ने के लिए मेला शिकार जैसी अनूठी पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग किया है। हाथियों को वश में

करने में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के अलावा, श्रीमती बरुआ ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मानव-हाथी संघर्षों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वन अधिकारियों के साथ मिलकर महावतों और फील्ड स्टाफ को हर्बल उपचार और प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे वन्यजीवों से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। श्रीमती पार्वती बरुआ ने 2001 में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयोजित थाईलैंड के बैंकॉक में पालतू एशियाई हाथी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में श्रीमती पार्वती बरुआ की अटूट प्रतिबद्धता और अग्रणी भावना के कारण उन्हें पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ■

नागरिक और विविधता में एकता

— रुचिता तुषार नीमा

भा

रत की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है, विविधता में एकता। यहाँ भाषाएँ अनेक हैं, धर्म और संप्रदाय अनेक हैं, खान-पान, वेशभूषा, लोकपरंपराएँ और जीवन-शैलियाँ अलग-अलग हैं, फिर भी इन विविधताओं के बीच एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना मौजूद है जो भारत को एक सूत्र में बाँधती है। यही भावना भारतीय नागरिकता की विशिष्ट पहचान बनती है। भारत को समझने के लिए उसकी विविधता को समझना आवश्यक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक भारत का भूगोल बदलता है। इसी के साथ भाषाएँ, लोकगीत, नृत्य, त्योहार और सामाजिक परंपराएँ भी बदलती हैं। लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद एक भारतीय दूसरे भारतीय से एक साझा राष्ट्रीय पहचान के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी विविधता को विभाजन का कारण समझ लिया जाता है। भारतीय अनुभव इसके विपरीत है। विविधता ने भारतीय संस्कृति को अधिक समृद्ध बनाया है। अलग-अलग समुदायों ने भारत की सभ्यता में अपने-अपने रंग जोड़े हैं। भारत की शक्ति इस बात में नहीं है कि यहाँ सब लोग एक जैसा सोचते, बोलते या रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि अलग-अलग होते हुए भी वे साथ रहने की क्षमता रखते हैं। यही लोकतंत्र की भी मूल भावना है — असहमति के साथ सह-अस्तित्व।

भारतीय संविधान ने इस विविधता को स्वीकार करते हुए प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार दिया है। नागरिकता का आधार किसी की भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता है। एक भारतीय नागरिक के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस प्रदेश, जाति या समुदाय से आता है। महत्वपूर्ण यह है कि वह भी उसी संविधान का नागरिक है और उसके समान अधिकार तथा सम्मान का अधिकारी है। इस अर्थ में संविधान भारत की विविधताओं को समान नागरिकता के सूत्र में पिरोता है। भारतीय नागरिकता का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब व्यक्ति अपनी स्थानीय या सामुदायिक पहचान के साथ राष्ट्रीय पहचान को भी स्वीकार करता है। कोई मराठी हो सकता है और भारतीय भी, कोई तमिल हो सकता है और भारतीय भी, कोई पंजाबी, बंगाली, असमिया, कश्मीरी या नागा हो सकता है और भारतीय भी। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों भी भारतीय नागरिकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं। इसलिए भारतीयता किसी एक भाषा, वेशभूषा या धार्मिक परंपरा का नाम नहीं है। भारतीयता अनेक पहचानों को साथ लेकर चलने वाली व्यापक नागरिक पहचान है।

विविधता में एकता केवल एक सुंदर नारा नहीं, बल्कि नागरिक उत्तरदायित्व भी है। हमें अपनी भाषा और संस्कृति से प्रेम करने के साथ दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान



करना चाहिए। किसी की भाषा का मजाक उड़ाना, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भेदभाव करना, धार्मिक पूर्वाग्रह फैलाना या जातीय श्रेष्ठता का दावा करना, ये सब भारतीय नागरिकता की भावना को कमजोर करते हैं। इसके विपरीत, दूसरे की संस्कृति को समझना, उसकी मान्यताओं का सम्मान करना और मतभेद के बावजूद संवाद बनाए रखना परिपक्व नागरिकता का प्रमाण है। भारतीय समाज में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी या किसी बड़े संकट के समय लोगों ने क्षेत्र, भाषा और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक-दूसरे की सहायता की। ऐसे अवसर बताते हैं कि राष्ट्रीय एकता केवल सरकारी व्यवस्था से नहीं, बल्कि नागरिकों की पारस्परिक संवेदना से भी बनती है। यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि एकता और एकरूपता समान नहीं हैं। एकरूपता का अर्थ है — सब एक जैसे हों, जबकि एकता का अर्थ है — अलग-अलग होते हुए भी एक साझा उद्देश्य और पहचान से जुड़े हों। भारत को एकरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि भारत की विविधता समान नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ी रहे।

आज सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और त्वरित सूचना के दौर में छोटी-सी अफवाह भी सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे समय में भारतीय नागरिक का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें किसी संदेश को केवल इसलिए सच नहीं मानना चाहिए कि वह हमारी पसंद या पूर्वाग्रह के अनुकूल है। हमें तथ्य जाँचने चाहिए, घृणा फैलाने वाली सामग्री से बचना चाहिए और असहमति को शत्रुता में बदलने से रोकना चाहिए।

विविधता भारत की वास्तविकता है और एकता उसकी नागरिक चेतना। भारत की नागरिकता हमें केवल यह अधिकार नहीं देती कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, वह यह जिम्मेदारी भी देती है कि हम दूसरे नागरिक के अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करें। भारतीय नागरिकता का आदर्श इसलिए यह नहीं कि “सब एक जैसे हों”, बल्कि यह है कि “हम अलग-अलग होकर भी एक-दूसरे के साथ खड़े रहें।” यही भारत की शक्ति है, यही उसकी लोकतांत्रिक आत्मा है और यही विविधता में एकता को भारतीय नागरिकता की पहचान बनाती है। ■

फेक न्यूज और जागरूक नागरिक

फे

क न्यूज केवल झूठी खबर नहीं है, यह समाज के विश्वास, लोकतांत्रिक संवाद और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली सूचना-समस्या है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने सूचना को अभूतपूर्व गति दी है। अब किसी खबर को लाखों लोगों तक पहुँचने में कुछ मिनट लगते हैं। इसलिए आज जागरूक नागरिक की एक महत्वपूर्ण पहचान यह भी है कि वह हर सूचना को तुरंत स्वीकार या प्रसारित नहीं करता, बल्कि उसकी सत्यता की जाँच करता है। फेक न्यूज ऐसी झूठी, भ्रामक, मनगढ़ंत या संदर्भ से काटकर प्रस्तुत की गई सूचना हो सकती है जिसे वास्तविक समाचार के रूप में प्रसारित किया जाए। कभी पूरी खबर ही काल्पनिक होती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई घटना से जोड़ दिया जाता है और कभी किसी वास्तविक बयान को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हर गलत सूचना को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है। गलत जानकारी कभी अज्ञानता से फैलती है, तो कभी जानबूझकर भ्रम पैदा करने के लिए।

फेक न्यूज के गति से फैलने के पीछे का कारण है मानव मन का ऐसी सूचनाओं की ओर जल्दी आकर्षित होना जो उसकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। सनसनीखेज शीर्षक, भय, क्रोध, धार्मिक या सामाजिक भावनाएँ और राजनीतिक पक्षधरता किसी संदेश को तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं। कई बार व्यक्ति इसलिए भी संदेश साझा कर देता है क्योंकि उसे वह अपने विश्वास के अनुकूल लगता है। यही स्थिति सूचना के प्रति हमारी निष्पक्षता की परीक्षा लेती है। फेक न्यूज से लड़ने के लिए केवल सरकार या मीडिया संस्थानों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हर नागरिक स्वयं एक सूचना-प्रहरी है। किसी संदेश को आगे बढ़ाने से पहले पाँच सवाल पूछे जा सकते हैं, इस खबर का स्रोत क्या है? यह खबर कब की है? क्या किसी विश्वसनीय समाचार स्रोत ने भी इसे प्रकाशित किया है? क्या तस्वीर या वीडियो वास्तव में इसी घटना का है? और क्या खबर केवल मेरी भावनाओं को भड़काने के लिए लिखी गई लगती है? हलके से संदेह पर ऐसे खबर को फॉरवर्ड करने के बजाय रोक देना ही जिम्मेदार नागरिकता है।

श्रेष्ठ नागरिक

52 साल की चामी मुर्मू को देश भर में 'सरायकेला की सहयोगी' के नाम से जाना जाता है। सरायकेला-खरसावां जिले की रहने वाली आदिवासी महिला चामी मुर्मू ने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी काम किया है। 3000 महिलाओं के साथ मिलकर चामी ने 30 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर की रहने वाली चामी मुर्मू 'लेडी टार्जन' के नाम से भी मशहूर हैं। उन्होंने 30 हजार से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह

याद रहे तस्वीर और वीडियो भी झूठ बोल सकते हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक संपादन तकनीकों ने तस्वीरों, वीडियो और आवाज को बदलना आसान बना दिया है। इसलिए "वीडियो है, इसलिए सच होगा" जैसी धारणा खतरनाक है। पुरानी घटनाओं के वीडियो को नई घटना बताकर साझा करना भी आम प्रकार की भ्रामक सूचना है। किसी दृश्य को देखकर निष्कर्ष निकालने के बजाय उसके स्रोत और संदर्भ की जाँच करना आवश्यक है क्योंकि एक झूठी खबर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है, किसी समुदाय के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है और सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य, आपदा, अपराध या सुरक्षा से जुड़ी गलत सूचना तो लोगों के वास्तविक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इसका लोकतंत्र में इसका प्रभाव और गंभीर हो जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक निर्णय सूचित नागरिकों पर निर्भर करते हैं। यदि नागरिकों तक तथ्य के बजाय लगातार भ्रम पहुँचता रहे, तो स्वस्थ सार्वजनिक विमर्श कमजोर पड़ता है। समरण रहे, "फॉरवर्ड" करना भी एक जिम्मेदारी है।

हम अक्सर मानते हैं कि झूठी खबर फैलाने वाला केवल वह व्यक्ति है जिसने उसे बनाया है। लेकिन डिजिटल युग में बिना जाँच के उसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति भी उसके प्रसार की कड़ी बन जाता है। इसलिए एक सरल नागरिक संकल्प उपयोगी हो सकता है "जो बात सत्यापित नहीं है, उसे मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा।" फेक न्यूज की समस्या का समाधान केवल तकनीक से नहीं होगा। इसके लिए मीडिया साक्षरता, डिजिटल विवेक और नागरिक जिम्मेदारी तीनों आवश्यक हैं। एक जागरूक नागरिक हर खबर पर संदेह नहीं करता, लेकिन हर खबर पर आँख मूँदकर विश्वास भी नहीं करता। वह प्रश्न पूछता है, स्रोत देखता है, संदर्भ समझता है और फिर निर्णय लेता है। आज के डिजिटल युग में जिम्मेदार नागरिक वही है जो सूचना को केवल प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसकी सत्यता की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। "फेक न्यूज को रोकने की पहली दीवार किसी कानून या तकनीक से नहीं, हमारे अपने 'फॉरवर्ड' बटन पर लगी उंगली से बनती है।" ■

चामी मुर्मू

(एसएचजी) से जोड़ा है। एसएचजी से जुड़ने के बाद 40 से अधिक गांवों की इन महिलाओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। चामी मुर्मू ने इन्हें रोजगार से जोड़ा, जिसकी वजह से उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। महिलाएं सशक्त हुईं।

पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ■

जल संरक्षण : नागरिक धर्म

ज

ल केवल प्रकृति का दिया हुआ संसाधन नहीं, जीवन का आधार और सभ्यता की पहली शर्त है। मनुष्य के शरीर से लेकर खेतों, जंगलों, नदियों और उद्योगों तक, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जल के बिना चल सके।

इसलिए जल का संरक्षण केवल सरकारों, नगरपालिकाओं या पर्यावरण संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक सामाजिक और नैतिक दायित्व है। भारत में जल-संकट का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, पारंपरिक जलस्रोत सूख रहे हैं और वर्षा का वितरण अनियमित हो रहा है। दूसरी ओर शहरों में लाखों लीटर पानी पाइपों की लीकेज, अत्यधिक उपभोग और लापरवाही के कारण व्यर्थ चला जाता है। यह विरोधाभास हमें सोचने के लिए विवश करता है—क्या पानी की कमी वास्तव में है, या पानी के प्रति हमारी समझ और उत्तरदायित्व की कमी है?

पानी बचाना केवल नल बंद करना नहीं है। जल संरक्षण का अर्थ केवल ब्रश करते समय नल बंद कर देना नहीं है। यह एक व्यापक जीवन-दृष्टि है। घर में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षाजल का संचयन, रिसते नलों और पाइपों की मरम्मत, वाहन धोने में पानी की बर्बादी रोकना, रसोई और स्नान में आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल करना, ये छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक नागरिक यह भी देख सकता है कि उसके मोहल्ले में वर्षाजल कहाँ जाता है। यदि बारिश का पानी नालियों के रास्ते बहकर बाहर चला जाता है, तो उसे जमीन में उतारने के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज सिस्टम बनाए जा सकते हैं। छत का पानी टैंक में संग्रहित किया जा सकता है और उपयुक्त परिस्थितियों में भूजल पुनर्भरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी रोकना भी नागरिक धर्म है। पार्कों में अत्यधिक सिंचाई, सार्वजनिक नलों का खुला रहना, पाइप से सड़कों की अनावश्यक धुलाई या जल स्त्रोतों में कचरा डालना, ये केवल प्रशासन की समस्या नहीं हैं। इनके प्रति नागरिक की सजगता आवश्यक है। जो नागरिक सड़क पर कूड़ा फेंकने से बचता है, उसे नदी में कूड़ा डालने से भी बचना चाहिए। जल संरक्षण और स्वच्छता एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। प्रदूषित नदी या तालाब केवल



पानी की मात्रा नहीं, उसकी उपयोगिता भी नष्ट करता है।

जल संरक्षण का सबसे प्रभावी विद्यालय हमारा अपना घर हो सकता है। परिवार में बच्चों को समझाया जाए कि पानी नल से नहीं, प्रकृति के चक्र से आता है। उन्हें बताया जाए कि एक गिलास पानी के पीछे वर्षा, नदी, भूजल, ऊर्जा और अनेक मानवीय प्रयास जुड़े होते हैं। हर परिवार अपने घर में कुछ सरल संकल्प ले सकता है, जैसे आवश्यकता न होने पर नल खुला न छोड़ना, पानी के रिसाव को तुरंत ठीक कराना, कपड़े और बर्तन धोने में आवश्यकता से अधिक पानी न बहाना,

वर्षाजल संचयन की व्यवस्था करना, पौधों की सिंचाई के लिए उपयुक्त समय और विधि अपनाना, बचा हुआ स्वच्छ पानी उपयोगी कार्यों में लगाना, जलस्रोतों में प्लास्टिक और रासायनिक कचरा न डालना।

जल संरक्षण का प्रश्न अंततः नागरिक चरित्र का प्रश्न है। जिस समाज में व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति

को अपनी संपत्ति समझता है, वह सार्वजनिक जल को भी अपना समझेगा। जिस नागरिक को यह बोध है कि आज बचाया गया पानी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, वह जल का अपव्यय नहीं करेगा। भारत की परंपरा में जल के प्रति श्रद्धा सदियों पुरानी है। नदियों को माता, कुओं और बावड़ियों को सामुदायिक धरोहर तथा वर्षा को जीवनदायिनी शक्ति माना गया। आधुनिक विकास ने हमें जल की सुविधाएँ तो दीं, लेकिन उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता कहीं-कहीं कम कर दी। अब आवश्यकता है कि परंपरा की संवेदना और आधुनिक विज्ञान की तकनीक को साथ लाया जाए। जल संरक्षण का अर्थ केवल भविष्य के संकट से बचना नहीं है, यह वर्तमान में जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है। सरकारें बड़े बाँध, नहरें और जल परियोजनाएँ बना सकती हैं, लेकिन हर घर, हर खेत और हर मोहल्ले में पानी बचाने की संस्कृति नागरिक ही बना सकते हैं।

अंततः हमें यह समझना होगा कि जल बचाना प्रकृति पर उपकार नहीं, अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों के प्रति कर्तव्य है। यदि प्रत्येक नागरिक प्रतिदिन पानी की एक-एक बूंद को महत्व देने लगे, तो बूंदें मिलकर केवल जलाशय नहीं भरेंगीं, वे भारत के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगीं। जल है तो जीवन है, जल संरक्षण है तो भविष्य है। ■

जागरूक नागरिक के सरोकार

असम के एक वन कर्मि ने देखा कि होजाइ के हवाईपुर नामक स्थान पर राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय हो रहा है और हाथियों का एक बड़ा झुण्ड रेल की पटरी की तरफ बढ़ रहा है। इस वनकर्मि ने तत्काल समीपस्थ स्टेशन के माध्यम से रेल कण्ट्रोल रूम को सूचित किया और स्वयं उस स्थान पर खड़े होकर राजधानी को खतरे के संकेत देने लगा। राजधानी

एक्सप्रेस रुक गयी और हाथियों का झुंड सुरक्षित रेल के पटरी पार कर गया। रेल के यात्री अपने गंतव्य पर कुछ मिनट देरी से पहुंचे होंगे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना टल गयी। यह एक नागरिक की संवेदनशीलता और सतर्कता का अच्छा उदाहरण था। ■

स्वच्छ भारत अभियान और नागरिक भागीदारी

र

वच्छ भारत अभियान, जिसे क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाना है। यह अभियान न केवल सफाई की आदतों को बढ़ावा देता है, बल्कि इसे भारतीय समाज में एक स्थायी संस्कृति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास का आधार है। स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता के महत्व को जन-जन तक पहुँचाया। इस अभियान के माध्यम से लोग सफाई के प्रति अधिक संवेदनशील हुए हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या से निपटने और स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, और कार्यस्थलों पर स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर इस अभियान की शुरुआत की। गांधीजी स्वच्छता को आजादी से भी अधिक महत्व देते थे, और इसी प्रेरणा से यह अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हर भारतीय को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान की शुरुआत झाड़ू लगाकर एक प्रतीकात्मक संदेश देने से की गई, जिसने स्वच्छता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इस आंदोलन की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकार की योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है, जो भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और पर्यावरण के अनुकूल देश बनाना है। यह अभियान केवल एक स्वच्छता आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। इसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग को शामिल कर स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी

बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं, खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना, जिसके लिए हर घर में शौचालय निर्माण कराना और खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। इस अभियान का दूसरा लक्ष्य है स्वच्छता का प्रचार-प्रसार जिसमें लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना इस अभियान का एक प्रमुख बिंदु है। इसके तहत स्कूली बच्चों, ग्रामीण समुदायों, और शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया जा रहा है। इस अभियान का एक और लक्ष्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना क्योंकि गंदगी और कचरे के कारण बीमारियों का फैलाव अधिक होता है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य साफ-सफाई के माध्यम से बीमारियों को कम करना और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव को कम करना है।

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग है कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण के तहत सूखा और गीला कचरा अलग-अलग करना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, और कचरे को पुनः उपयोगी बनाना सम्मिलित है। यह अभियान पर्यावरणीय सुधार को भी लक्षित करता है। साफ-सुथरा वातावरण जल, वायु, और भूमि प्रदूषण को कम करता है। यह अभियान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देता है।

अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किये गए उपाय हैं, घर-घर शौचालय निर्माण और सब्सिडी प्रदान करना, स्वच्छता से जुड़ी सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं का संचालन, सामुदायिक भागीदारी और जनजागरूकता अभियान चलाना और स्वच्छता को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करना है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल गंदगी को हटाना नहीं है, बल्कि भारत को एक ऐसा देश बनाना है, जहाँ स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी और प्राथमिकता हो। यह अभियान न केवल शारीरिक स्वच्छता को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वच्छता का भी प्रतीक है। ■

श्रेष्ठ नागरिक

एक अच्छी भली नौकरी छोड़कर यह युवा पटना के गंगा घाट की सफाई में जुट गया। उनका छोटा सा प्रेरक वाक्य है, कुछ करना चाहिए बोलना छोड़कर, शुरुआत मैं करूंगा को अपनाना चाहिए। उनके इस प्रयास का एकल प्रारम्भ शुरू में उदासीनता और मखौल उड़ाने के परिवेश में हुआ। प्रति रविवार शुभम ने जब यह काम शुरू किया तो उन्होंने गंगा घाट के आसपास के व्यापारियों को भी समझाया कि गंगा और उसके घाटों की सफाई से उनके व्यवसाय की भी प्रगति होगी। आज

शुभम

पूरे गंगा घाट पर थर्मोकॉल के कप प्लेट उपयोग से बाहर हो गए हैं। पीने के पानी की बोतलों को एक जगह एकत्रित करने की व्यवस्था है महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के बूथ बनाये गए हैं और शुभम के साथ इस अभियान में जुटे लोगों की संख्या 11000 से अधिक हो गयी है। एक व्यक्ति का एकल प्रयास उनसे लक्ष्य की स्पष्टता और नागरिक जागरूकता का बड़ा उदाहरण है। ■

स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र और नागरिक चिंतन

— मीतू सिंघाई

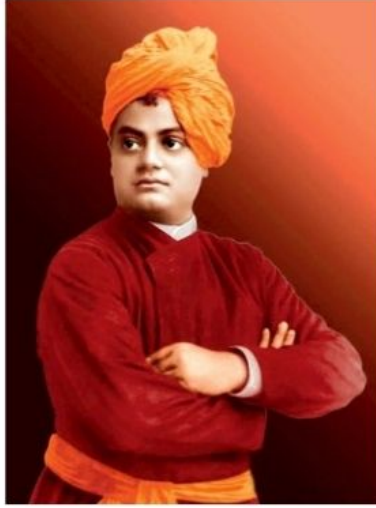
र

वामी विवेकानंद के राष्ट्र और नागरिक चिंतन को समझने के लिए उनके उस व्यापक दर्शन को समझना आवश्यक है, जिसमें मनुष्य-निर्माण, चरित्र-निर्माण, सेवा, आत्मविश्वास और राष्ट्रोत्थान एक-दूसरे से

जुड़े हुए हैं। उनके लिए राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सत्ता या प्रशासनिक व्यवस्था का नाम नहीं था। राष्ट्र उसके लोगों के चरित्र, आत्मसम्मान, सामाजिक चेतना और परस्पर बंधुत्व से बनता है। विवेकानंद ने ऐसे समय में भारत को देखा, जब देश राजनीतिक पराधीनता, सामाजिक जड़ता, गरीबी और आत्महीनता से जूझ रहा था। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोरियों को पहचाना, लेकिन भारत के भविष्य के प्रति उनका विश्वास अटूट था। उनका राष्ट्रवाद अतीत के गौरव पर गर्व करने के साथ-साथ वर्तमान की कमजोरियों को दूर करने और भविष्य का सशक्त भारत बनाने का आह्वान था। उनका प्रसिद्ध विचार था कि 'दरिद्र नारायण' की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। इस दृष्टि से नागरिक-सेवा और राष्ट्र-सेवा अलग-अलग नहीं रह जातीं। समाज के कमजोर व्यक्ति के प्रति संवेदना रखना राष्ट्रभक्ति का ही एक रूप बन जाता है।

उनका प्रसिद्ध कथन, "हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके", उनकी शिक्षा-दृष्टि का सार प्रस्तुत करता है। उनके लिए राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों की आंतरिक शक्ति से निकलती है। इसलिए उन्होंने 'मनुष्य-निर्माण' को राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला माना।

विवेकानंद के नागरिक चिंतन में एक आदर्श नागरिक वह है जो निर्भीक, आत्मविश्वासी, चरित्रवान, कर्मठ और सेवाभावी हो। वह केवल अपने अधिकारों की चिंता नहीं करता, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। उनका संदेश युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। वे युवाओं में निष्क्रियता, भय और आत्महीनता के स्थान पर शक्ति और कर्म की भावना जगाना चाहते थे। उनका आह्वान था — "उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को समाज से विमुख होने का साधन नहीं माना। इसके विपरीत उन्होंने सेवा को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाया। उनका विचार था कि मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करने वाला व्यक्ति मनुष्य की पीड़ा से उदासीन नहीं रह सकता। यही विचार आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की सेवा-परंपरा में दिखाई देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हुए इस परंपरा ने विवेकानंद के 'सेवा द्वारा राष्ट्रोत्थान' के विचार को व्यवहार में उतारा।



विवेकानंद भारतीयों में व्याप्त आत्महीनता से अत्यंत चिंतित थे। वे भारतीयों को अपनी सभ्यता और आध्यात्मिक परंपरा के प्रति आत्मविश्वास रखने का संदेश देते थे। लेकिन उनका राष्ट्रगौरव संकीर्ण या आक्रामक राष्ट्रवाद नहीं था। उनके राष्ट्रवाद में आत्मसम्मान था, पर दूसरों के प्रति घृणा

नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव था, पर दूसरी संस्कृतियों के प्रति असहिष्णुता नहीं। विवेकानंद ने भारत की विविधता में एकता को विशेष महत्व दिया। वे जाति, संप्रदाय, भाषा और सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर भारतीय समाज में व्यापक एकात्मता चाहते थे। उनका चिंतन यह प्रश्न उठाता है कि यदि एक ही राष्ट्र के नागरिक एक-दूसरे को हीन समझें, तो राष्ट्र कैसे शक्तिशाली हो सकता है? इसलिए सामाजिक सम्मान और मानवीय समानता उनके राष्ट्रोत्थान के महत्वपूर्ण तत्व थे। आज जब नागरिकता की चर्चा अक्सर अधिकारों, सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में होती है, विवेकानंद हमें नागरिकता का एक दूसरा पक्ष याद दिलाते हैं, कर्तव्य और चरित्र। उनका

चिंतन आज के नागरिक से कुछ मूलभूत प्रश्न पूछता है —

क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं?

क्या हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं?

क्या हम कमजोर और वंचित व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हैं?

क्या हम सामाजिक समस्याओं के समाधान में स्वयं भाग लेते हैं?

क्या हमारी शिक्षा हमें केवल रोजगार देती है या चरित्र भी बनाती है?

क्या हम अपने राष्ट्र पर गर्व करते हुए दूसरे राष्ट्रों और संस्कृतियों का सम्मान कर सकते हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर में ही विवेकानंद के नागरिक चिंतन की समकालीन प्रासंगिकता दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के लिए राष्ट्र-निर्माण किसी सरकार या संस्था का अकेला दायित्व नहीं था। राष्ट्र नागरिकों से बनता है और नागरिक का निर्माण चरित्र से। इस अर्थ में विवेकानंद का राष्ट्रवाद केवल 'भारत महान था' कहने का आग्रह नहीं, बल्कि 'भारत को महान बनाने में मेरा क्या योगदान है?' पूछने की प्रेरणा है। यही प्रश्न उनके राष्ट्र और नागरिक चिंतन को आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनाता है। ■

(लेखिका वरिष्ठ शासकीय शिक्षिका हैं और विवेकानंद समिति से शीलद्वारा पुरस्कृत हैं।)

साइबर अपराध और नागरिक भूमिका

डि

डिजिटल तकनीक ने जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है। बैंकिंग, खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएँ और संवाद, लगभग हर क्षेत्र इंटरनेट से जुड़ चुका है। लेकिन सुविधाओं के साथ जोखिम भी बढ़े हैं। साइबर अपराध अब केवल तकनीकी विशेषज्ञों की समस्या नहीं, बल्कि आम नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी वेबसाइट, पहचान की चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, साइबर ब्लैकमेल और दुर्भावनापूर्ण लिंक जैसे अपराधों का सामना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा में नागरिक की सतर्कता पहली सुरक्षा-पंक्ति है।

साइबर अपराधी अक्सर अत्याधुनिक तकनीक से अधिक मानवीय भूल और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। "आपका बैंक खाता बंद होने वाला है", "आपका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है", "आपने पुरस्कार जीता है", "आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी" जैसे संदेश भय या लालच पैदा करके व्यक्ति से गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक को याद रखना चाहिए ओटीपी पिन या पासवर्ड और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। फिशिंग से सावधान रहने की आवश्यकता है। फिशिंग में अपराधी बैंक, सरकारी संस्था, कंपनी या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के नाम से नकली संदेश या ई-मेल भेजकर उपयोगकर्ता को किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए किसी संदेश में आए लिंक पर तुरंत क्लिक करने के बजाय संबंधित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप स्वयं खोलकर जानकारी की पुष्टि करना अधिक सुरक्षित है।

यूपीआई और डिजिटल भुगतान ने लेन-देन आसान बना दिया है, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण नियम है पैसा प्राप्त करने के लिए सामान्यतः यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि पैसा प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या यूपीआई पिन डालें, तो अत्यंत सावधान रहें। पिन डालना आम तौर पर भुगतान को अधिकृत करता है। हर महत्वपूर्ण खाते के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड रखना चाहिए। जहाँ संभव हो, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण सक्रिय करना चाहिए। सार्वजनिक कंप्यूटर या असुरक्षित वाईफाई पर बैंकिंग जैसी संवेदनशील गतिविधियाँ करने से बचना भी समझदारी है। सोशल मीडिया पर भी सावधानी रखना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करना साइबर अपराधियों के लिए उपयोगी हो सकता है। जन्मतिथि,

मोबाइल नंबर, पता, यात्रा की पूरी जानकारी, परिवार की निजी जानकारी और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचना चाहिए। इसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति की निजी तस्वीर या जानकारी उसकी अनुमति के बिना साझा करना भी अनुचित है। वरिष्ठ नागरिक और बच्चे विशेष रूप से सावधान रहें। साइबर अपराधों में कई बार अपराधी तकनीकी कमजोरी के बजाय विश्वास और अनुभव की कमी का फायदा उठाते हैं। बुजुर्गों को बैंकिंग कॉल, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान और निवेश संबंधी धोखाधड़ी से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। बच्चों को भी ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, अजनबियों से संपर्क और संदिग्ध लिंक के बारे में डिजिटल सुरक्षा की शिक्षा देना आवश्यक है।

यदि साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात है — घबराएँ नहीं और समय न गँवाएँ। भारत में साइबर अपराध या ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए सरकारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल उपलब्ध है। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में भारत की आधिकारिक साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत संपर्क करना चाहिए। साथ ही बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था को तुरंत सूचित कर खाते/कार्ड/लेन-देन पर आवश्यक रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। संदेश, फोन नंबर, ई-मेल, स्क्रीनशॉट और लेन-देन की जानकारी जैसे प्रमाण सुरक्षित रखना भी उपयोगी है। नागरिक की साइबर सुरक्षा केवल अपने पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। जिम्मेदार नागरिक कभी भी संदिग्ध संदेश दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करता, फर्जी वेबसाइट और ऐप की जानकारी साझा करके दूसरों को सचत करता है, किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता और साइबर अपराध की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देता है। एक आदर्श नागरिक सोशल मीडिया पर अप्रुष्ट आरोप और अफवाहें नहीं फैलाता और बच्चों और बुजुर्गों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करता है। आज नागरिक का घर केवल चार दीवारों तक सीमित नहीं है। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल संसार में भी मौजूद है। इसलिए जैसे हम अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, वैसे ही हम अपने डिजिटल जीवन के दरवाजों की भी सुरक्षा करनी होगी। साइबर अपराध से बचाव में सरकार, पुलिस, बैंक और तकनीकी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन पहली सावधानी नागरिक स्वयं बरतता है। "साइबर सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक है।"

एक सरल सूत्र याद रखा जा सकता है : रुकिए, सोचिए, जाँचिए, फिर क्लिक कीजिए। ■

इंटरनेट और तकनीक जीवन आसान बना रही हैं, लेकिन साइबर ठगों ने इसे खौफनाक जगह बना दिया है। 2024 में दुनिया में रु. 498 लाख करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी हुई। यानी कि हर सेकेंड रु. 1.63 करोड़ की चपट लगी। भारत में 2023 में 9.2 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं, जिनमें रु. 6 हजार करोड़ की चपट लगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी 6 साल में 42 गुना बढ़ गई। वर्ष 2024 में भारतीयों ने 22,812 करोड़ रु. गंवाये। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 2025 में भारतीयों से रु. 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा की ठगी की आशंका जताई है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर की नागरिक दृष्टि

डॉ.

भीमराव आंबेडकर की नागरिक दृष्टि भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक आधारशिलाओं में से एक है। उनके लिए नागरिकता केवल किसी राज्य की सदस्यता या मतदान का अधिकार नहीं थी, बल्कि

स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार थी। वे जानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है, जब वह सामाजिक लोकतंत्र में भी दिखाई दे। आंबेडकर का पूरा जीवन इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा रहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और समान अवसर के साथ कैसे जी सके। आंबेडकर के लिए सबसे बड़ी नागरिक समस्या सामाजिक असमानता थी। इसीलिए उन्होंने कानून के समक्ष समानता और भेदभाव से मुक्ति को लोकतांत्रिक नागरिकता का अनिवार्य आधार माना। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों के पीछे उनका चिंतन स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं था कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ था कि हर नागरिक को मनुष्य के रूप में समान सम्मान मिले। आंबेडकर के चिंतन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीन अलग-अलग आदर्श नहीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए मूल्य थे। यदि स्वतंत्रता हो लेकिन समानता न हो, तो शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का शोषण कर सकता है। यदि समानता का विचार हो लेकिन स्वतंत्रता न हो, तो व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना बाधित हो सकती है। और यदि दोनों हों लेकिन बंधुत्व न हो, तो समाज में परस्पर अविश्वास और संघर्ष पैदा हो सकता है। इसलिए वे सामाजिक जीवन में बंधुत्व को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे।

आंबेडकर जानते थे कि केवल अच्छे आदर्श पर्याप्त नहीं हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत संवैधानिक व्यवस्था भी आवश्यक है। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधान नागरिक को केवल शासन का विषय नहीं रहन देते, बल्कि उसे अधिकार-संपन्न नागरिक बनाते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा से जोड़ा, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। आंबेडकर की नागरिक दृष्टि की विशिष्टता यह है कि उन्होंने नागरिक अधिकारों को सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं से अलग करके नहीं देखा। यदि किसी व्यक्ति के पास मतदान का अधिकार तो है, लेकिन उसे शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार में अवसर नहीं मिलता, सार्वजनिक स्थानों पर सम्मान नहीं मिलता या जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो



उसकी नागरिक स्वतंत्रता अधूरी है। आंबेडकर न संवैधानिक नैतिकता पर विशेष बल दिया। इसका अर्थ है, संविधान की भावना का सम्मान करना, संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना, असहमति को स्वीकार करना और सत्ता का प्रयोग कानून की सीमाओं में करना। एक आदर्श नागरिक वह है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। आंबेडकर की नागरिक दृष्टि में महिलाओं की समानता भी महत्वपूर्ण थी। वे स्त्री को केवल परिवार की भूमिका तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। कानून और समाज में महिलाओं की समान स्थिति उनके व्यापक सामाजिक न्याय के विचार का हिस्सा थी। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और पारिवारिक अधिकारों में अधिक समानता दिलाने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए नागरिकता लिंग के आधार पर विभाजित नहीं हो सकती थी। आंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का शक्तिशाली माध्यम माना। उनका प्रसिद्ध आह्वान "शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो", केवल व्यक्तिगत उन्नति का संदेश नहीं था। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है।

आंबेडकर की सबसे दूरदर्शी चिंताओं में से एक यह थी कि भारत ने राजनीतिक लोकतंत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन समाज में गहरी असमानताएँ बनी रहीं। उन्होंने संविधान सभा में चेताया था कि यदि राजनीतिक समानता और सामाजिक, आर्थिक असमानता के बीच विरोध बना रहा, तो लोकतंत्र के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

आज के भारत में आंबेडकर की नागरिक दृष्टि कई स्तरों पर प्रासंगिक है। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी, सामाजिक मीडिया में गरिमा, सार्वजनिक जीवन में समानता, कमजोर वर्गों के अधिकार, कानून का सम्मान और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे प्रश्न नागरिकता के केंद्र में हैं। आंबेडकर हमें याद दिलाते हैं कि अच्छा नागरिक केवल अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करताय वह दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी खड़ा होता है। डॉ. आंबेडकर की नागरिक दृष्टि का सार "समान गरिमा वाले नागरिक" की कल्पना में निहित है। उनके लिए लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों की सुविधा न हो, समानता केवल संविधान की भाषा न हो और बंधुत्व केवल आदर्श वाक्य न रह जाए। उनका नागरिक चिंतन हमें यह समझाता है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, आत्मसम्मान, संवैधानिक निष्ठा और पारस्परिक सम्मान में है। इसलिए आंबेडकर की नागरिक दृष्टि को एक सूत्र में कहा जा सकता है "संविधान नागरिक को अधिकार देता है, लोकतांत्रिक चेतना उन अधिकारों को जीवंत बनाती है और सामाजिक बंधुत्व उन्हें सुरक्षित रखता है।" ■

महात्मा गांधी की दृष्टि में आदर्श नागरिक

म

हात्मा गांधी की दृष्टि में आदर्श नागरिक वह व्यक्ति नहीं था जो केवल अपने अधिकारों की माँग करे, बल्कि वह था जो अपने कर्तव्यों, आत्मानुशासन, सत्य, अहिंसा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को जीवन का आधार बनाए। गांधीजी के नागरिक-दर्शन में स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं, बल्कि आत्मसंयम और लोकमंगल था। गांधीजी के आदर्श नागरिक की पहली पहचान सत्यनिष्ठा है। उनके लिए सत्य केवल बोलने का गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का सिद्धांत था। नागरिक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ, छल या भ्रष्टाचार का सहारा न ले और सार्वजनिक जीवन में भी सत्य का पालन करे।

दूसरा महत्वपूर्ण गुण अहिंसा और सहिष्णुता है। गांधीजी मानते थे कि लोकतांत्रिक समाज में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मतभेद को मनभेद और संघर्ष को हिंसा में बदलना नागरिकता की कमजोरी है। आदर्श नागरिक अपने विरोधी के विचारों का सम्मान करता है और संवाद के माध्यम से समाधान खोजता है। गांधीजी के आदर्श नागरिक का एक बड़ा दायित्व स्वच्छता और सार्वजनिक जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। वे स्वयं सफाई करते थे और स्वच्छता को केवल सरकार का काम नहीं

मानते थे। उनके लिए जिस सड़क, कुँ, विद्यालय या सार्वजनिक स्थान का उपयोग नागरिक करता है, उसकी देखभाल भी उसकी जिम्मेदारी है। उनकी नागरिक-दृष्टि में स्वावलंबन का विशेष महत्व था। चरखा और खादी केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं थे, वे आत्मनिर्भरता, श्रम की प्रतिष्ठा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे। गांधीजी चाहते थे कि नागरिक अपने श्रम को सम्मान दे और दूसरों के श्रम का भी सम्मान करे। नागरिक केवल अपने परिवार या अपने समुदाय के हित के बारे में न सोचे, बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के हित की भी चिंता करना, नागरिकता को नैतिक ऊँचाई देती है। गांधीजी अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका विचार था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे, तो दूसरों के अधिकार स्वतः सुरक्षित होंगे।

अंततः गांधीजी का आदर्श नागरिक वह है जो सत्य को जीवन में उतारे, अहिंसा को व्यवहार में अपनाए, श्रम का सम्मान करे, स्वच्छता रखे, कमजोर के साथ खड़ा हो, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति माने और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करे। ■

नागरिक का उत्तरदायित्व है मतदान

लोकतंत्र में मतदान केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह नागरिक की राजनीतिक भागीदारी का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम है। संविधान ने नागरिकों को मतदान का अधिकार दकर उन्हें शासन-व्यवस्था के निर्माण में भागीदार बनाया है। इसलिए मतदान को केवल एक अधिकार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। मतदान एक लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी है। संसद हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय-निर्वाचित प्रतिनिधियों के चयन में नागरिक की भूमिका लोकतंत्र की बुनियाद है। एक-एक मत छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सामूहिक रूप से यही मत सत्ता का निर्धारण करते हैं। कई बार चुनावों में उम्मीदवारों के बीच अंतर बहुत कम होता है। इसलिए यह धारणा कि "मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा?" लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं है। मतदान का अर्थ केवल मतदान केंद्र तक पहुँचना नहीं है। जिम्मेदार मतदान के लिए उम्मीदवार और उसके कार्यों, नीतियों, सार्वजनिक रिकॉर्ड और क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जानकारी लेना भी आवश्यक है। जाति, धर्म, भाषा, व्यक्तिगत संबंध, डर, लालच या क्षणिक भावनाओं के आधार पर मतदान करने के बजाय नागरिक को यह विचार करना चाहिए कि कौन-सा विकल्प सार्वजनिक हित में बेहतर शासन की संभावना पैदा करता है। लोकतंत्र में मतदाता किसी का स्थायी समर्थक नहीं, बल्कि सजग मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए। पाँच वर्ष की

शासन-व्यवस्था के बदले क्षणिक लाभ स्वीकार करना अपने ही लोकतांत्रिक अधिकार का अवमूल्यन है। एक जागरूक मतदाता उम्मीदवार से यह पूछता है, "आप मेरे क्षेत्र और देश के लिए क्या करेंगे?" न कि केवल "आप मुझे क्या देंगे?" मतदान करके नागरिक की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों पर नजर रखना, जनहित के मुद्दे उठाना, सार्वजनिक संस्थाओं से सवाल पूछना और आवश्यक होने पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखना भी नागरिक भागीदारी का हिस्सा है। इस अर्थ में लोकतंत्र कुछ इस प्रकार है, जानकारी, विचार, मतदान, निगरानी, सहभागिता और जवाबदेही। मतदाता को अपने मत का प्रयोग बिना भय, दबाव और अनुचित प्रभाव के करना चाहिए। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास बनाए रखना और किसी अपुष्ट सूचना का चुनावी तथ्य मानकर प्रसारित न करना भी नागरिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र सिर्फ मतदान केंद्र से मजबूत नहीं होता, वह तब मजबूत होता है जब हम जानकारी के साथ वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करते हैं और चुनाव के बाद भी नागरिक के रूप में सक्रिय रहते हैं। "मत आपका है, निर्णय आपका है और उसक परिणामों में देश का भविष्य जुड़ा है। इसलिए मतदान केवल उँगली पर लगी स्याही नहीं, लोकतंत्र के प्रति नागरिक की प्रतिबद्धता है।" ■

भारत में नागरिक अधिकार

लो

कतंत्र में नागरिक की शक्ति केवल उसके वोट में नहीं होती। अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होना भी नागरिक सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार है।

भारतीय संविधान के भाग षष्ठ (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। हालांकि यह पूर्ण अधिकार नहीं है और कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। मुख्य मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं:

- समानता का अधिकार — कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं, भेदभाव अनुमत नहीं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — नागरिक को अपनी बात कहने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है,
- शांतिपूर्ण सभा का अधिकार — नागरिक शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा कर सकते हैं।
- संघ या संगठन बनाने का अधिकार — नागरिक संगठन, संघ अथवा यूनियन बना सकते हैं।
- देश में स्वतंत्र आवागमन और निवास का अधिकार — नागरिक भारत में घूम और निवास कर सकते हैं।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार — किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार — और उसे कानूनन उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिलती है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि से परामर्श और बचाव का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार।
- जबरन बयान या आत्म-दोषारोपण से सुरक्षा — आरोपी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- एक ही अपराध के लिए कानून के अनुसार दो बार अभियोजित और दंडित करने से संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन।
- नागरिक, कानून द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांग सकते हैं।
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है।

— उपभोक्ता को सुरक्षा, सूचना, विकल्प, सुने जाने, प्रतितोष और उपभोक्ता शिक्षा जैसे अधिकार प्राप्त हैं। खराब वस्तु या सेवा में कमी होने पर उचित कानूनी मंच पर शिकायत और प्रतितोष मांग सकता है।

— आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न हो, इसके लिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

— सर्वोच्च न्यायालय न निजता का संविधान के अनुच्छेद 21 स संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

— पुलिस या अन्य एजेंसियों की तलाशी और जब्ती निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।

— हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति में भी व्यक्ति की गरिमा और कानून द्वारा निर्धारित अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।

— कर्मचारियों को लागू श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल की सुरक्षा, अवकाश और अन्य वैधानिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

— महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और शिकायत की वैधानिक व्यवस्था प्राप्त है।

— संपत्ति रखने का अधिकार — यद्यपि यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 300। के तहत किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

— ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, साइबर उत्पीड़न आदि के मामलों में नागरिक कानूनी संरक्षण और शिकायत की व्यवस्था का उपयोग कर सकता है।

— विभिन्न कानूनों और योजनाओं के तहत नागरिक को संबंधित प्राधिकारी, अपीलीय अधिकारी, लोक शिकायत व्यवस्था, उपभोक्ता आयोग या न्यायालय जैसे उपलब्ध मंचों का सहारा लेने का अधिकार हो सकता है।

इनमें से सभी को तकनीकी अर्थ में "मौलिक अधिकार" कहना सही नहीं होगा। कुछ संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, कुछ वैधानिक अधिकार हैं और कुछ कानूनी प्रक्रियात्मक सुरक्षा।

एक महत्त्व की बात यह है कि सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं हैं। कुछ अधिकार देश के हर व्यक्ति को प्राप्त हैं, जबकि कुछ विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ■

विद्यालय हैं, नागरिकता बोध की प्रथम कड़ी

औपचारिक शिक्षा के अलावा, हममें से कितने लोगों को स्कूल जाने की हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या और शिक्षकों के नैतिक नागरिक होने, बड़ों का सम्मान करने, कानूनों का पालन करने और नागरिक भावना से जुड़े अन्य विषयों पर दिए गए उपदेश याद हैं, जिनका हम पर उस समय गहरा प्रभाव पड़ा था। परन्तु भारतीय स्कूलों में नागरिक ज्ञान अक्सर सैद्धांतिक पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहता है। नागरिक शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण आवश्यक है: छात्रों को क्षेत्रीय परियोजनाओं (स्थानीय अपशिष्ट आडिट, फुटपाथ पुनर्निर्माण प्रस्ताव, नागरिक रिपोर्ट कार्ड) में शामिल

होना चाहिए और मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नगरपालिका अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। भारतीय शहरों में किए गए छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स से मिले सबूत बताते हैं कि जब बच्चे स्वच्छता अभियान चलाते हैं या सार्वजनिक उपयोगिताओं का ऑडिट करते हैं, तो परिवारों का व्यवहार बदल जाता है और माता-पिता अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स की सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए, व्यापक स्तर पर लागू होने वाले पाठ्यक्रम सुधार में विद्यार्थियों को सार्वजनिक परियोजनाओं और नगर सरकारों के साथ संस्थागत संबंधों के साथ जोड़ना आवश्यक है। ■

निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक कर्तव्य

नि

जता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक कर्तव्य

डिजिटल युग में निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन लोकतंत्र के सामने उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। एक ओर नागरिक चाहता है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी, बातचीत, गतिविधियाँ और डिजिटल पहचान सुरक्षित रहें, दूसरी ओर राज्य का दायित्व है कि वह आतंकवाद, साइबर अपराध, जासूसी, संगठित अपराध और अन्य गंभीर खतरों से देश और नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि "निजता या सुरक्षा?" बल्कि यह कि "सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नागरिक की निजता की रक्षा कैसे की जाए?" निजता व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी निजी बातचीत, व्यक्तिगत दस्तावेज, वित्तीय जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी विवरण और डिजिटल गतिविधियाँ बिना उचित कारण और वैधानिक प्रक्रिया के निगरानी का विषय नहीं बनेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक निर्णय में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा मौलिक अधिकार माना। इससे भारत में निजता को नागरिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार के रूप में मजबूती मिली। दूसरी तरफ किसी भी राज्य का पहला दायित्व अपने नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आतंकवादी गतिविधियाँ, साइबर हमले, विदेशी जासूसी, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल अवसरचना पर हमले केवल सरकार के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के लिए भी खतरा हैं। इन खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ परिस्थितियों में सूचना प्राप्त करने, संदिग्ध गतिविधियों की जाँच करने और डिजिटल माध्यमों की निगरानी करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है, सुरक्षा के नाम पर निगरानी की सीमा क्या हो?

राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नागरिक की निजता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्तियों पर कानून, न्यायिक समीक्षा, संस्थागत निगरानी और स्पष्ट प्रक्रियाओं का नियंत्रण होना आवश्यक है। यदि किसी नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी केवल इस आधार पर एकत्र की जाए कि भविष्य में शायद उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो यह निजता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर प्रश्न पैदा कर सकता है। निजता और सुरक्षा के बीच संतुलन के

लिए कुछ मूल सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं:

1. वैधानिक आधार – निगरानी या डेटा-संग्रह स्पष्ट कानून और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।
2. आवश्यकता – जो जानकारी वास्तव में आवश्यक है, उसी तक सीमित रहना चाहिए।
3. अनुपातिकता – सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उठाया गया कदम नागरिक की स्वतंत्रता पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव न डाले।
4. जवाबदेही – निगरानी करने वाली संस्थाओं के काम की उचित संस्थागत निगरानी होनी चाहिए।
5. डेटा सुरक्षा – सरकार या निजी संस्थाओं के पास मौजूद नागरिकों का डेटा सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
6. दुरुपयोग से सुरक्षा – व्यक्तिगत जानकारी का राजनीतिक, व्यावसायिक या अन्य अनुचित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल रोकना आवश्यक है।

निजता की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण, संदिग्ध लिंक से सावधानी और अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना आज की आवश्यक डिजिटल आदतें हैं। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फैलने वाली अफवाहों से भी सावधान रहना चाहिए। किसी संदिग्ध घटना, सैन्य गतिविधि या सुरक्षा संबंधी अपुष्ट सूचना को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना स्वयं सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता एक-दूसरे की शत्रु नहीं हैं। मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों का विश्वास आवश्यक है और नागरिकों का विश्वास तभी कायम रहता है जब उन्हें भरोसा हो कि राज्य उनकी सुरक्षा के साथ उनकी स्वतंत्रता और निजता का भी सम्मान करेगा। इसलिए समाधान किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं, बल्कि कानूनसम्मत, आवश्यक, अनुपातिक और जवाबदेह सुरक्षा व्यवस्था बनाने में है।

निजता नागरिक की गरिमा है और राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र की आवश्यकता। दोनों में टकराव तब पैदा होता है जब किसी एक को दूसरे की कीमत पर असीमित कर दिया जाए। "राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी ढाल होनी चाहिए जो नागरिकों की रक्षा करे, ऐसी दीवार नहीं जो नागरिकों की स्वतंत्रता को ही ढक दे।" एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान यही है कि वह देश को सुरक्षित रखते हुए नागरिक को स्वतंत्र और सम्मानित भी रख सके। ■

सरल भाषा में – नागरिकता और राष्ट्रीयता में अंतर

नागरिकता एक कानूनी स्थिति है। राष्ट्र से भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध भी हो सकता है। नागरिकता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है जो जन्म, संस्कृति, इतिहास और पहचान से जुड़ी हो सकती है और अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करती है जबकि राष्ट्रीयता राष्ट्रीय पहचान का बोध कराती है।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

मौ

लिक कर्तव्य संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक पर लगाए गए नैतिक और नागरिक दायित्व हैं। ये उन जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में निभाते हैं। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य नागरिकों से राष्ट्र के कल्याण, एकता और अखंडता में योगदान देने का आह्वान करते हैं। 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर कोई अध्याय शामिल नहीं था। संसद में पारित 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान में भाग 31-1 को जोड़ा। इस नए भाग में एक ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। शामिल था, जिसमें दस मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था। यह अनुच्छेद भारत के नागरिक पर निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
2. उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसा, सत्य, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से प्रेरित था।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यह कर्तव्य नागरिकों पर यह दायित्व डालता है कि वे ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न न हों जिससे देश की संप्रभुता या अखंडता को खतरा हो, और देश के विविध क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों में एकता बनाए रखने में सक्रिय रूप से योगदान दें।
4. आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
5. धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे

की भावना को बढ़ावा देना।

6. हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करना और उसे संरक्षित करना।
 7. वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना।
 8. वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। यह कर्तव्य नागरिकों को प्रश्न पूछने, प्रमाण खोजने और अंधविश्वास या पुरानी परंपराओं पर निर्भर रहने के बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर अपने विचारों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है।
 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यह कर्तव्य विशेष रूप से उन विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जिनके कारण ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।
 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर के प्रयासों और उपलब्धियों को प्राप्त करता रहे।
 11. छह से चौदह वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह ग्यारहवां कर्तव्य, माता-पिता और अभिभावकों पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व डालता है कि उनके छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मिले।
- मौलिक अधिकारों की तरह मौलिक कर्तव्यों को सीधे कानूनी कार्रवाई के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। जिस नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में प्रवर्तन हेतु अपील कर सकता है। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले नागरिकों के विरुद्ध उन्हें लागू करने के लिए कोई समान तंत्र मौजूद नहीं है। ■

श्रेष्ठ नागरिक

झारखंड को डायन नामक कलंक से मुक्ति दिलाने का बीड़ा जिन चंद संस्थाओं और लोगों ने उठाया है, उनमें छुटनी देवी का नाम सबसे ऊपर है। यह वही छुटनी हैं, जिन्हें समाज के लोगों ने डायन बता प्रताड़ित किया था। मुश्किल घड़ी में न तो गांव का साथ मिला और न ही समाज का। और तो और सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब खुद की और अपने तीन बच्चों की जान बचाने के लिए छुटनी देवी को आधी रात सरायकेला में बहने वाली खरकई (पहाड़ी नदी) पार करनी पड़ी। वहीं आठ महीने तक पेड़ के नीचे बनी टाट की झोपड़ी में दिन काटने पड़े। तब न तो उन्हें पुलिस का सहयोग मिला और न ही जन प्रतिनिधियों का। समाज से मिली इस पीड़ा ने आज छुटनीदेवी को इतना ताकतवर बना दिया कि वह हजारों

छुटनी देवी

महिलाओं की आवाज बन गई। झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र स्थित बीरबांस गांव में रहने वाली छुटनी देवी का नाम आज छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में डायन कहकर प्रताड़ित की जानेवाली हर महिला की जुबान पर है। ऐसी महिलाओं का संबल बनी छुटनी देवी गांव, समाज, थाना से लेकर कोर्ट तक डायन बताई गई महिलाओं की न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। वे सबको न्याय दिलाना चाहती हैं। आज छुटनी देवी की पहचान एक ऐसी 'वीरांगना' के रूप में है, जिन्होंने पूरे झारखंड में डायन-भूतनी कहकर प्रताड़ित की गई महिलाओं को नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाला है। झारखंड के सरायकेला-खरसावा जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली यही छुटनी देवी देश के राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से सम्मानित हुईं। ■

मेरी नागरिक प्रतिज्ञा

मैं

भारत का एक जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।

मैं अपने संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता एवं अखंडता का सम्मान करूँगा/करूँगी। मैं अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझूँगा/समझूँगी और उनका ईमानदारी से पालन करूँगा/करूँगी।

मैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग अथवा किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा/करूँगी और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करूँगा/करूँगी।

मैं सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करूँगा/करूँगी। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल-संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊँगा/निभाऊँगी।

मैं कानून का पालन करूँगा/करूँगी, भ्रष्टाचार का विरोध करूँगा/करूँगी और किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत तथा

अफवाह को बढ़ावा नहीं दूँगा/दूँगी।

मैं मतदान को केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी मानूँगा/मानूँगी। मैं अपने मत का विवेकपूर्ण और निष्पक्ष उपयोग करूँगा/करूँगी।

डिजिटल संसार में भी मैं जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करूँगा/करूँगी, फर्जी समाचार नहीं फैलाऊँगा/फैलाऊँगी, दूसरों की निजता का सम्मान करूँगा/करूँगी और सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगा/करूँगी।

मैं जरूरतमंदों की सहायता करूँगा/करूँगी, समाज में सहयोग और सद्भाव बढ़ाऊँगा/बढ़ाऊँगी तथा अपने आचरण से देश को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा/करूँगी।

मैं संकल्प लेता/लेती हूँ कि देश की प्रगति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं स्वयं बदलूँगा/बदलूँगी और अपने आसपास सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करूँगा/करूँगी।

मेरा देश, मेरा समाज, मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद! ■

क्यों न बने अच्छा नागरिक

बीमारियों पर नियंत्रण में असफलता पर सरकार को कोसने के पूर्व हमें समझना होगा कि कचरे को जहाँ तहाँ सरकार नहीं फेंकती है, हम फेंकते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी हमारे देश में घरेलू कचरे के वर्गीकरण की प्रथा नागरिक स्तर तक नहीं पहुँच पायी है। आज बड़ी सोसाइटी से नगर पालिका द्वारा कचरा न उठाने की शिकायतें आती हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि एक निश्चित आकार के सोसाइटी परिसर में कचरे के वर्गीकरण और निस्तारण का उत्तरदायित्व वैधानिक रूप से सोसाइटी का ही है। हावड़ा पुल जैसी बड़ी संरचना आज गुटके पान की पीक से जर्जर हो रहा है। प्लास्टिक की थैलियों के विकराल रूप को हम अनेक बार शहरों के जलप्लावन के रूप में देख चुके हैं लेकिन बाजार में जाते समय कपड़े का थैला ले जाने का हमें औचित्य समझ में नहीं आता। स्वच्छता पर काम बहुत हुआ है। जागरूकता भी बढ़ी है, इंदौर शहर इस बात का उदाहरण है। किसी चौराहे पर बायीं ओर मुड़ने के लिए स्थान छोड़ना, गति सीमा का उल्लंघन न करना जैसी बातों के परिणाम हैं कि प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या में हमारा देश भले ही सूची में नीचे हो, विश्व में सड़क दुर्घटनाओं और इन दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में हम शीर्ष पर हैं। आश्चर्यजनक रूप से रोड रेज या सड़कों पर पार्किंग और साइड को लेकर गुस्से पर काबू न करना, जानलेवा हमले करने के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि एक बड़ी सामाजिक चिंता का कारण है। सोशल मीडिया का प्रयोग समय हमारे देश में सबसे अधिक है।

जिस समय युवा को अपनी रचनात्मकता को विकसित करना है उस समय को वह रील बनाने और देखने में समय गँवा रहा है। आज भी 18 प्रतिशत तक ब्याज के लालच में लोग उन योजनाओं में फँस रहे हैं जो सिर्फ दिवास्वप्न हैं। यूपीएआई और पिन लिखकर रखने वाले और किसी भी बहाने से पूछे जाने पर उसे बताने की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। राजनीति में मतभेद मनभेद बन रहे हैं, नेताओं के अपमानजनक नाम रखे जा रहे हैं, किसी अवसर पर विदेश की एक महिला प्रधान मंत्री पर भद्दी टिप्पणी पर उपस्थित लोग ठहाके लगा रहे हैं तालियाँ बजा रहे हैं। किस मार्ग पर चल पड़ा है देश, किस प्रकार के शिष्टाचार की गिरावट के रसातल तय कर रहे हैं हम भारतीय?

हरिशंकर परसाई एक लेख में बताते हैं कि किसी समय किसी कमजोर बच्चे के पिता झिझकते हुए कहते थे, इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया है, सहायता कीजिये इसका साल खराब न हो। आज के समय में सीधे पूछ लेते हैं पास कर दीजियेगा पैसे कितने लेंगे ये बताइये। नकली डिग्री बाजार में मिल रही हैं, निजी कोचिंग का व्यवसाय बढ़ रहा है, सरकारी तंत्र बढ़ती फीस पर लगाम कसने में असमर्थ हैं, बड़ी संख्या में शासकीय विद्यालय बंद हो रहे हैं, यह देश कभी विश्वगुरु था, ऐसी मान्यता पर्याप्त नहीं है, हमें पहले अच्छा नागरिक बनना सीखना होगा। ■

क्या केवल सरकार से बदलता है देश?

न

हीं। देश केवल सरकार से नहीं बदलता, सरकार दिशा और व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन देश का वास्तविक परिवर्तन नागरिकों के व्यवहार, संस्थाओं की गुणवत्ता और समाज की सामूहिक चेतना से होता है। सरकार के पास कानून बनाने, नीतियाँ लागू करने, सड़कें-बिजली-पानी जैसी सुविधाएँ देना, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति होती है। इसलिए सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी सरकार परिवर्तन को गति दे सकती है, जबकि कमजोर शासन विकास को बाधित कर सकता है। लेकिन सरकार अकेले हर नागरिक के व्यवहार को नहीं बदल सकती। यदि सरकार स्वच्छता अभियान चलाए और नागरिक सड़कों पर कूड़ा फेंकते रहें, तो स्वच्छ भारत संभव नहीं। यदि सरकार यातायात नियम बनाए और नागरिक लाल बत्ती तोड़ते रहें, तो सड़क सुरक्षा नहीं आ सकती। यदि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाए लेकिन नागरिक और व्यवसायी रिश्वत देने को सामान्य व्यवहार मानते रहें, तो भ्रष्टाचार समाप्त करना कठिन होगा। यदि सरकार जल संरक्षण की योजनाएँ बनाए लेकिन लोग पानी की बर्बादी करते रहें, तो जल संकट बना रहेगा। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाती है, नागरिक उस व्यवस्था को सफल बनाते हैं।

सामाजिक परिवर्तन के चार स्तंभ हैं पहला सरकार जो नीति, कानून और संस्थाएँ बनाती है, दूसरा नागरिक जो अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के वाहक हैं, तीसरा

समाज जो सहयोग, सामाजिक दबाव और सामूहिक चेतना प्रदर्शित करता है, चौथी हैं संस्थाएँ जो शिक्षा, न्यायपालिका, मीडिया, बाजार और प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। इन चारों के बीच तालमेल हो तो परिवर्तन स्थायी बनता है। हम अक्सर पूछते हैं, "सरकार दश के लिए क्या कर रही है?" इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी होना चाहिए, "मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ?" देश का निर्माण केवल संसद, मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में नहीं होता। वह घर, स्कूल, बाजार, सड़क, कार्यालय, खेत, कारखाने और डिजिटल दुनिया, हर जगह होता है। एक जिम्मेदार नागरिक चोरी नहीं करता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाता, कूड़ा नहीं फैलाता, फेक न्यूज नहीं फैलाता, कानून का सम्मान करता है, मतदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है। सरकार देश को चला सकती है, लेकिन देश को बदलने के लिए नागरिकों को बदलना पड़ता है। सरकार कानून से स्वच्छता ला सकती है, पर स्वच्छता की संस्कृति नागरिक ही पैदा करते हैं। सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है, पर ज्ञान और चरित्र समाज को विकसित करना होता है। सरकार विकास की योजनाएँ बना सकती है, पर विकास को जीवन-पद्धति नागरिक बनाते हैं।

इसलिए सच्चा राष्ट्र-निर्माण "सरकार बनाम नागरिक" का प्रश्न नहीं है, बल्कि "सरकार और नागरिक" के सांझे प्रयास का परिणाम है। दश तब बदलता है जब सरकार की नीतियाँ और नागरिकों का व्यवहार दोनों बदलते हैं। ■

नागरिकता बोध और संकट की पहचान

किसी समाज का संकट हमेशा युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने नहीं आता। कई बार संकट धीरे-धीरे हमारी नागरिक चेतना में प्रवेश करता है। जब रिश्वत को "काम कराने का सामान्य तरीका" माना जाने लगे, सड़क पर कूड़ा फेंकना मामूली बात समझी जाए, यातायात नियमों को सुविधा के अनुसार तोड़ा जाए, भ्रामक समाचारों को बिना जाँचे आगे बढ़ाया जाए या सार्वजनिक संपत्ति को "सरकार की संपत्ति" समझकर उसकी उपेक्षा की जाएकृतो समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं रहती, वह नागरिकता-बोध के क्षरण का संकेत बन जाती है। इसी प्रकार जातीय, धार्मिक, भाषाई या राजनीतिक वैमनस्य का बढ़ना, संवाद की जगह आक्रोश का आ जाना और अधिकारों की मांग के साथ कर्तव्यों की उपेक्षा करना भी लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए गंभीर चेतावनी हैं। आज नागरिकता का सबसे बड़ा संकट शायद "मैं" और "हम" के बीच संतुलन खोने में है। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जितना सजग होता जा रहा है, उतनी ही सजगता से उसे अपने दायित्वों को भी समझना होगा। लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन सक्रिय होने का नाम नहीं है। लोकतंत्र रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है, हम कतार में कैसे खड़े होते हैं, सड़क पर कैसे चलते हैं,

सार्वजनिक स्थान को कितना साफ रखते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं और संकट की घड़ी में अपने समाज के लिए कितना खड़े होते हैं। इसलिए नागरिकता-बोध संकट की पहचान का पहला उपकरण है। जागरूक नागरिक समस्याओं को केवल सरकार की जिम्मेदारी मानकर नहीं छोड़ता, वह समस्या को पहचानता है, उसके कारणों को समझता है और समाधान में अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करता है। अंततः किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सेना या तकनीक से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक शक्ति उसके नागरिक चरित्र में दिखाई देती है। जहाँ नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझते हैं, वहाँ संकट अवसर में बदल सकता है, और जहाँ नागरिक-बोध कमजोर पड़ता है, वहाँ छोटी-छोटी सामाजिक विकृतियाँ धीरे-धीरे राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकती हैं। भारत के सामने आज अलगाववादी, धार्मिक विभाजन को हवा देने वाली, कानून व्यवस्था को निरंतर चुनौतियाँ देने वाले आंदोलन और भारतीयों मूल्यों से एकदम अलग व्यवसायीकरण और आर्थिक स्थिति के अंतर जैसे संकट हैं। ■

नागरिक-अधिकार और कर्तव्य श्रीमद्भगवतगीता के परिप्रेक्ष्य में

— विक्रमादित्य सिंह

आ

ज देश में सर्वत्र नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों की ही बात की जाती है। महिलाओं को अधिकार चाहिए, विद्यार्थियों को अधिकार चाहिए, शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को अधिकार चाहिए, मजदूरों को अधिकार चाहिए, राजनेताओं को अधिकार चाहिए इत्यादि इत्यादि। परंतु ध्यान रहे इन सब वर्गों के कर्तव्य भी हैं, एक वर्ग का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है। उदाहरण के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कर्तव्यनिष्ठा के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करे तो दूसरी ओर विद्यार्थियों का यह अधिकार है कि वे शिक्षक से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वे अनुशासित रहकर विद्याध्ययन करें तो शिक्षकों को अधिकार है कि वे विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए ताड़ना तक करें (वर्तमान में इस पर कुछ लोगों की अलग राय हो सकती है)। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ ही अनुच्छेद 51 (क) में मूल कर्तव्य की चर्चा भी की गई है, परंतु दुर्भाग्य से मूल कर्तव्यों की ओर न तो नागरिकों का ध्यान है, न ही शासन इसके क्रियान्वयन के लिए कोई कठोर कदम उठाता है फलस्वरूप कर्तव्य की पालना न होने के कारण सर्वत्र अव्यवस्था व्याप्त है। प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दीन-दुखियों, पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों के प्रति उदार रहे एवं निस्वार्थ बुद्धि से यथाशक्ति उनकी मदद करे।

गीता में इसे 'यज्ञ' का अर्थ दिया गया है। यही कर्मयोग है। श्रीमद् भगवतगीता के अध्याय तीन में भगवान् कृष्ण "कर्मयोग" के विषय में अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। हमारे कर्म ही हमारा वर्तमान एवं भविष्य बनाते हैं। सभी मनुष्य जीवन में सुख, शांति एवं आनंद चाहते हैं, इसे प्राप्त करने का मार्ग ही कर्मयोग है। कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से शरीर का जीवन भी चल नहीं सकता। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे बंधनकारक नहीं होते, यज्ञ का हेतु छोड़कर जो किए जाते हैं, उनसे ही कर्ता को बंधन होता है, इसलिए आसक्ति छोड़कर मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म करे।

यहाँ यज्ञ से तात्पर्य निःस्वार्थ, परहित के लिए किए जाने वाले कर्मों से है, इसके भी कई प्रकार हैं जैसे होमहवन अथवा द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न करके "इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह तुम्हें निश्चित कामनाओं को देने वाला हो" ऐसा कहा, इस यज्ञ से तुम लोग देवों को संतुष्ट करते रहो और वे देव तुम्हें संतुष्ट करते रहें। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त करो।

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेनप्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।।3-10।।

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।3-11।।

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।।3-12।।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।।3-13।।

परमेश्वर ने प्रजा को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है और ऐसी जगत की रचना की है कि जो यज्ञ करेंगे, उनकी ही वृद्धि होगी और उन्हीं की कामनाएं तृप्त होंगी। जो यज्ञ नहीं करेंगे उनका विनाश होगा और उनकी इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं होंगी। यज्ञ से मनुष्य देवों को संतुष्ट करेंगे, तो देव भी मनुष्यों को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए, सबका कल्याण होगा। जैसे हम ध्यान दें, प्रकृति हमसे कुछ नहीं चाहती, बल्कि हमें देती ही है। सूर्य, वायु, मेघ, पृथ्वी हमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं, परंतु हमसे कुछ लेते नहीं। यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता मनुष्यों को उनकी इच्छित वस्तु अवश्य देंगे, परंतु वस्तुओं में से कुछ भाग भी मनुष्य, उन्हें श्रद्धा से वापस नहीं देंगे और सब अपने लिए ही रखेंगे, तो फिर निसंदेह चोर होंगे। (यहाँ देवता से तात्पर्य दृश्य-अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों से है) यज्ञ करने के पश्चात् जो शेष बचता है, उसको ही जो मनुष्य स्वीकार करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं, परंतु जो अपने भोगों के लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे पाप का भोग करते हैं।

प्रकृति भी स्वार्थ कर्म (यज्ञ) करने से संतुलित रहती है। गीता के अगले श्लोकों में भगवान् कृष्ण कहते हैं —

अन्नादभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।3-14।।

कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।।3-15।।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।।3-16।।

समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होता है (यह आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध किया है) और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म विधि के ज्ञान से होता है और ज्ञान अक्षय परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा यज्ञ में सदा रहता है। अर्थात् जहाँ निःस्वार्थ, परोपकार के कर्म होते हैं, वही यज्ञ है, एवं वहाँ सर्वव्यापक परमात्मा रहता है। इस प्रकार यह विश्वव्यापी यज्ञचक्र चल रहा है, जो अपना आचरण इसके अनुकूल करेगा, वह यज्ञस्वरूप बनने के कारण पवित्र होगा, परंतु जो अपना जीवन, इसके अनुकूल नहीं बनाएगा और जो अपनी इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहेगा, उसका जीवन पापमय है, वह व्यर्थ जीता है। उसका जीवन व्यर्थ है। जिसकी सन्तुष्टि और आनंद, किसी बाह्य वस्तु पर अवलंबित नहीं है और वह आत्मा

में ही रमता है, आत्मा में ही संतुष्ट, आनंदित रहता है, उसको कोई कर्तव्य शेष नहीं होता। इस कारण कर्म करने से भी इसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं होता और न करने से भी उसकी कुछ हानि नहीं होती, इसके लिए कर्म करना अथवा न करना समान ही होता है, क्योंकि किसी बाहरी वस्तु के साथ इसके निजी स्वार्थ का संबंध बिलकुल भी नहीं होता, वह अपने अंदर पूर्णता का अनुभव करता है, इस कारण, मनुष्य को आसक्ति छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण इस संबंध में महाराजा जनक का उदाहरण देते हैं।

जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी आचरण करते हैं, वह पुरुष जो प्रमाण बताता है, लोग उसी

का अनुकरण करते हैं। अतः ऐसे पुरुषों को करने के लिए कुछ भी कार्य शेष न रहा हो, तो भी उनको कर्म करने में दत्तचित्त होना चाहिए, यदि वे कर्म में दत्तचित्त न रहेंगे, तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे और कुछ कर्म न करना ही अपना ध्येय बनाएंगे। इस तरह साधारण लोग आलसी बनेंगे और आलस्य से उनका नाश होगा। समाज के नाश का दोष श्रेष्ठ लोगों के कर्म न करने पर है। अतः समाज के हित की दृष्टि से, नागरिकों को जनहित के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। ■

जनसांख्यिकीय परिवर्तन और नागरिकता

जनसांख्यिकीय परिवर्तन और नागरिकता का आपस में गहरा और सीधा संबंध है, जो किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करता है। सीमाओं के पार से होने वाले अवैध प्रवासन के कारण किसी क्षेत्र विशेष की जनसांख्यिकी में तेजी से बदलाव आता है। इससे मूल नागरिकों के अधिकारों, भाषा, संस्कृति और स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या सख्त नागरिकता कानूनों पर विचार करती हैं। जनसांख्यिकीय असंतुलन या घुसपैठ की समस्याओं से निपटने के लिए सरकारें उच्च-स्तरीय समितियों का गठन करती हैं, जो नागरिकता के नियमों (जैसे असम समझौते की धारा 6ए) और देशीकरण (छंजतंसप्रंजपवद) के मानदंडों को कड़ा करने की सिफारिश करती हैं। स्थानीय जनजातियों और मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा तथा भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों (जैसे पांचवीं और छठी अनुसूची) या विशेष किरायेदारी कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाता है ताकि जनसांख्यिकीय विस्थापन रोका जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में "अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति" का आधिकारिक गठन किया है। कार्यान्वयन योग्य नीतिगत समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व रखने वाली यह समिति उस समस्या से निपटने का प्रयास करेगी, जिसे सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता, सीमा सुरक्षा और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं के

लिये गंभीर चुनौती के रूप में वर्णित करती है। इस समिति की अध्यक्षता प्रकाश प्रभाकर नेवालकर कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त रह चुके हैं। समिति में जनगणना आयुक्त सहित अन्य सदस्य भी शामिल हैं। समिति को एक वर्ष के भीतर (मई 2027 तक) अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर छह महीने के विस्तार का प्रावधान भी उपलब्ध है। समिति के कार्यों में अवैध प्रवासन, असामान्य बसावट पैटर्न और संगठित प्रवास के कारण भारत में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक एवं आँकड़ा-आधारित आकलन करना शामिल है। यह समिति विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या संरचना में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आँकड़े व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। इसके अन्य कार्य होंगे, जनसांख्यिकीय असंतुलनों के प्रबंधन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यात्मक समन्वय को सुदृढ़ करने के लिये एक व्यापक नीतिगत ढाँचे का प्रस्ताव करना, अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की कानूनी रूप से सुदृढ़, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, निरुद्धीकरण तथा निर्वासन के लिये एक सुव्यवस्थित, संस्थागत तथा स्थायी तंत्र की सिफारिश करना। सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पहचान सत्यापन प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाने तथा असामान्य प्रवासन प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी हेतु मजबूत संस्थागत तंत्र विकसित करना। ■

श्रेष्ठ नागरिक

प्रेम सिंह

लगभग तीन दशकों से प्रेम सिंह कुष्ठ रोगियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित कुष्ठ कल्याण मिशन और मोहाली स्थित कुष्ठ उन्मूलन सोसायटी के संस्थापक के रूप में, उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण हेतु कार्य किया है। उन्होंने 1,000 से अधिक रोगियों का पुनर्वास किया है और कई अन्य को ठीक किया है। उन्होंने न कभी कोई ग्रांट सरकार से ली न ही कभी ऐसा सोचा बल्कि अपने ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड के करीब 25 लाख रुपये भी कुष्ठ रोगियों के कल्याण में खर्च कर दिए। पत्नी के गहने तक समाजसेवा के लिए बेच दिए। प्रेम सिंह को दादा ने प्राण त्यागते समय कसम दी थी कि जरूरतमंद और बीमारों की मदद के लिए हमेशा समर्पण भाव रखें। अपने दादा से किए वादे को पूरा करने के लिए आराम करने की उम्र में भी प्रेम सिंह समाजसेवा में जुटे हैं। यही देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रेम सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है।

‘नवलय अनुबोध’ प्रकाशन का 19 वां वर्ष यह अंक 221 वां

अगस्त 2026 तक 100 अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित

कि

सी अन्य पत्रिका से अलग, नवलय अनुबोध पत्रिका की 19 वर्षीय यात्रा में, पिछले 8 वर्षों से हर अंक का एक विशेषांक होना इसका अनूठापन है। पत्रिका में समसामयिक विचारोत्तेजक और मनन योग्य विषयों का चयन एक दुरुह प्रक्रिया है, जिसपर संपादक मंडल में गहन विमर्श और विश्लेषण की परंपरा है, जो समय की कसौटी पर भी खरी उतरी है। हमारे इस प्रयास को पाठकों की भी सराहना मिली है।

पत्रिका में लेखकों की फोटो न छापना, सम्पादक मण्डल व लेखकों का अवैतनिक रूप में कार्य करना, समाज में निषेधित वस्तुओं के विज्ञापन प्रकाशित न करना जैसी नीति

नवलय अनुबोध को अन्य पत्रिकाओं से अलग रखती है। कोरोना काल के दो माह छोड़कर, गत 221 अंकों का नियमित प्रकाशन (प्रत्येक माह की 15 तारीख को) वाली निरन्तरता भी हमारी एक विशिष्ट पहचान है।

किसी एक विषय पर सम्पूर्ण वाग्म्य विस्तार के कारण हमें अक्सर पाठकों से कुछ विशिष्ट अंकों की प्रति की मांग आती है। सुधी पाठकों की सुविधा के लिए पिछले एक सौ विशेषांकों की सूची दी जा रही है जिसकी एक प्रति (उपलब्धता के आधार पर) डाक व्यय सहित, पचास रुपये के लागत शुल्क पर पंजीकृत डाक से भेजने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में मो. नं. 9755380050 पर हमारे प्रेषण व्यवस्थापक से सम्पर्क कर सकते हैं। ■

अंक क.	अंक का नाम	अंक क.	अंक का नाम	अंक क.	अंक का नाम	अंक क.	अंक का नाम
119	चित्रकला	146	जीवनरेखा	171	राष्ट्रपति	196	नवोन्मेष
122	उद्यमिता	147	शस्य श्यामला कृषि	172	वृहत्तर भारत	197	बांग्लादेश
123	ऊर्जा	148	सबल भारत	173	सावधान	198	यायावर
124	योग	149	शिक्षा	174	वरिष्ठजन	199	देशहित
125	अर्थतंत्र	150	कीर्तिमान	175	ब्रिटेन	200	अमेरिका
126	स्वतंत्रता	151	स्थानीय इतिहास	176	समरसता	201	सज्जन शक्ति
127	भाषा	152	प्रतिरक्षा	177	आहार	202	लेखा जोखा
128	शक्ति	153	प्रवासी	178	निवेश	203	युवा ऊर्जा
129	प्रतिरक्षा	154	अधिकार	179	श्रेष्ठ भारत	204	पक्षी
130	गुरु	155	बलिदान	180	अबूझ	205	नारी शक्ति
131	गणतंत्र	156	सम्भावना	181	मंगलमुखी	206	अर्णव
132	वसन्त	157	जल	182	जातिप्रथा	207	मध्यपूर्व
133	कश्मीर	158	ताना बाना	183	राष्ट्र चिन्तन	208	पुनरावलोकन
134	जनादेश	159	जनसंख्या	184	नेताजी अंक	209	विश्व व्यापार
135	मीडिया	160	गौरव	185	चन्द्रविजय	210	शून्य से शतक
136	प्रियं भारतं	161	होरी	186	मनोस्वास्थ्य	211	बिहार
137	राष्ट्रीयकरण	162	आर्थिकी	187	गाजा पट्टी	212	असफलता
138	जय हे	163	प्रशासन	188	पुस्तक	213	कर्तव्यबोध
139	अन्तरिक्ष	164	पाकिस्तान	189	श्री राम	214	बाजार
140	शक्ति	165	दर्शन	190	नर्मदा	215	वसुन्धरा
141	चीन	166	आनन्द	191	लोकमत परिष्कार	216	बंगाल
142	रहस्य	167	संगीत	192	बोली मातृभाषा	217	रणभेरी
143	मुद्रा	168	रोजगार	193	चिकित्सा पद्धति	218	गौरव ग्रन्थ
144	पुरातत्व	169	वैश्विकी	194	स्वप्नशील भारत	219	संवाद संचार
145	न्याय	170	राजपूताना	195	संसद	220	पावस

दोहरी नागरिकता

— श्याम कस्तूरे

क

किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को उस देश के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित किया जाता है। एक व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने की मान्यता देने वाले प्रावधानों का भी देश के संविधान में वर्णन किया जाता है। भिन्न-भिन्न देशों में नागरिकता प्राप्त करने के अलग-अलग पात्रता मानदण्ड होते हैं, किन्तु वैश्विक रूप से देखा जाए तो सामान्य मानदण्डों में — (1) जन्म से नागरिकता, (2) वंश से नागरिकता, (3) निवास से नागरिकता एवं (4) कुछ देशों में निवेश से नागरिकता, मानदण्डों में शामिल है। दुनिया के कई देश एकल नागरिकता को ही मान्यता देते हैं, किन्तु कई अन्य देश दोहरी नागरिकता को भी मान्यता प्रदान करते हैं।

दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति एक ही समय में कानूनी तौर पर दो अलग-अलग देशों का नागरिक होता है, व उन दोनों देशों से मिलने वाले नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति के पास दोनों देशों के पासपोर्ट होते हैं, बिना वीजा के दोनों देशों की यात्रा कर सकता है और अपनी इच्छानुसार दोनों देशों में रहते हुए कानून का पालन करने के लिये बाध्य होता है। वह वहाँ के स्थानीय लाभ जैसे—मतदान करना, सम्पत्ति खरीदना आदि प्राप्त कर सकता है। दोहरी-नागरिकता उन देशों में ही होती है, जिनके द्वारा इस बारे में आपसी समझौते किये गये हों। दोहरी-नागरिकता जन्म, वंश या प्राकृतिककरण (छंजनतंसप्रजपवद) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश में (Single Citizenship) यानि एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वैसे भारत सरकार भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को (Overseas Citizen on India) कार्ड की सुविधा देती है, जिसे कुछ लोग दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं, लेकिन इसके प्रावधानों के अनुसार यह पूर्ण दोहरी नागरिकता नहीं है। OCI कार्ड धारक को

भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे जीवनभर यात्रा और निवास सम्बन्धी लाभ प्राप्त होते हैं।

विश्व के 123 यानि करीब-करीब आधे देश अपने नागरिकों को दोहरी-नागरिकता की अनुमति देते हैं, जिसके नियम क्षेत्र और नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। दोहरी नागरिकता की अनुमति देने वाले देशों में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, युनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, मिस्त्र, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ब्राजील, साऊथ अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, मारीशस आदि शामिल हैं।

दोहरी-नागरिकता के लाभ —

— दो पासपोर्ट होने के कारण बिना वीजा या निवास परमिट के दोनों देशों के बीच आसानी से आवागमन की सुविधा।

— विश्वभर में अधिक गंतव्यों तक पहुंचने के लिए दोनों देशों के पासपोर्ट की शक्ति का उपयोग।

— अपनी आब्रजन स्थिति को खतरे में डाले बिना इच्छानुसार विदेश में रहने की छूट।

— दोनों देशों में रोजगार, व्यापार-विस्तार, कर अनुकूलन और सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त का अधिकार तथा सामाजिक लाभों की प्राप्ति।

दोहरी-नागरिकता में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे — संवेदनशील नौकरियों पर प्रतिबंध, दोहरे कराधान का जोखिम, वैश्विक आय पर, वैश्विक कर देने का बोझ, दो टैक्स प्रोफाइल बनाये रखने के लिये दोनों देशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट/कानूनी विशेषज्ञों की सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च आदि।

दोहरी नागरिकता की अनुमति न देने वाले देशों में भारत, चीन, जापान, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, मलेशिया, यू.ए.ई., सउदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, नार्थ कोरिया, आस्ट्रिया, मोनाको, इथियोपिया, तनजानिया, लीबिया, डी.आर. कांगों, क्यूबा, सूरीनाम, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजर बैजान आदि शामिल हैं। ■

— kasturey.shyam@gmail.com

गणेशोत्सव एवं आगामी नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनायें

मेहमान का पन्ना

जिसे माफ करना हमें सबसे मुश्किल लगता है

- अजय व्यास

दू

सरों को माफ करना एक नेक काम है। खुद को माफ करना आजादी देने वाला होता है। माफी को इंसानी गुणों में सबसे ऊँचा दर्जा दिया जाता है। हर धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान इसकी बदलने वाली ताकत के बारे में बात करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जो लोग हमें चोट पहुँचाते हैं, धोखा देते हैं, निराश करते हैं या हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें माफ कर दें। हम उन लोगों की तारीफ करते हैं जो नाराजगी छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम अक्सर माफ करना भूल जाते हैं—वह व्यक्ति जिसे हम रोज आँसू में देखते हैं। मनोवैज्ञानिक माफी को नाराजगी, कड़वाहट और बदला लेने की इच्छा को छोड़ने के एक सोच-समझकर और अपनी मर्जी से लिए गए फैसले के तौर पर परिभाषित करते हैं। यह एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो माफ करने वाले व्यक्ति को शांति देती है। यह जरूरी नहीं कि इससे गलती करने वाला व्यक्ति बदल जाएय यह माफ करने वाले को बदल देती है। अहम बात यह है कि माफी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाना। गलत व्यवहार को सही ठहराना या उसके लिए बहाने बनाना। जिसने हमें चोट पहुँचाई है, उससे सुलह कर लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्दनाक याद अब हमारी इमोशनल सेहत पर हावी नहीं रहती।

पिछले कुछ दशकों की शोध से यह पता चला है कि माफी तनाव, बैचेनी, अवसाद और गुस्से को कम करती है। इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, नींद बेहतर हो सकती है और दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। संक्षेप में, माफी खुद के लिए भी उतनी ही बड़ी सौगात है जितनी दूसरों के लिए। हालाँकि समाज हमें दूसरों को माफ करना सिखाता है, लेकिन खुद को माफ करने के बारे में बहुत कम बात की जाती है। हममें से कई लोग सालों तक, कभी-कभी पूरी जिंदगी, अनदेखे बोझ ढोते रहते हैं। मेरा एक दोस्त आज भी डॉक्टर न बन पाने का अफसोस करता है। उसका मानना है कि अगर उसने जवानी में और मेहनत की होती या बेहतर फैसले लिए होते, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। कई दशक बीत चुके हैं, फिर भी वह टीनएज में लिए गए एक फैसले के लिए खुद को सजा देता रहता है। वह अकेला नहीं है। कुछ लोग अपनी टूटी हुई शादी के लिए खुद को दोषी मानते हैं। दूसरे लोग करियर के छूटे मौकों, पैसे से जुड़े गलत फैसलों, गुस्से में कही गई कड़वी बातों या अपनों के साथ काफी समय न बिता पाने का अफसोस करते हैं। हालात अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही होती है, लगातार बना रहने वाला अपराधबोध। अजीब बात है कि कई लोग उन्हें तो आसानी से माफ कर देते हैं जिन्होंने उन्हें चोट पहुँचाई है, लेकिन खुद को माफ करने से इंकार कर देते हैं।

मनोविज्ञान इसकी एक दिलचस्प वजह बताता है। हम सभी के मन में एक छवि होती है कि हमें कैसा होना चाहिए—जिम्मेदार, कामयाब, दयालु, समझदार और नैतिक रूप से सही। जब हमारे काम उस आदर्श के स्तर तक नहीं पहुँच पाते, तो हमें अपराधबोध या शर्म महसूस होती है। थोड़ी-बहुत गिल्ट (अपराधबोध) हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। लेकिन जब यह गिल्ट स्थायी हो जाती है, तो यह खुद को सजा देने जैसा बन जाती है। “मुझसे गलती हो गई” कहने के बजाय, हम कहने लगते हैं, “मैं ही एक गलती हूँ।” सोच में आया यह छोटा सा बदलाव हमारे आत्म-सम्मान, रिश्तों, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाता है। हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। इंसान होने के लिए परफेक्ट होना कभी जरूरी नहीं रहा। हम सभी गलतियाँ करते हैं—कुछ जान-बूझकर, तो कई अनजाने में। हम स्थितियों को गलत समझते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, मौके गँवा देते हैं, बिना सोचे-समझे बोल देते हैं, और कभी-कभी जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें निराश कर देते हैं। आइए मान लें कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। पर अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है। उनमें हमेशा उलझे रहना दुख देता है। खुद को माफ करने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी स्वीकार करना, सबक सीखना, जहाँ संभव हो सुधार करना और फिर खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देना। जैसा कि मनोवैज्ञानिक क्रिस्टिन नेफ का ‘सेल्फ-कम्फेशन’ (खुद के प्रति दया) पर किया गया काम हमें याद दिलाता है, अगर हम खुद के साथ भी वैसी ही दयालुता दिखाएँ जैसी किसी करीबी दोस्त के साथ दिखाते हैं, तो इससे हमारी सहनशक्ति बढ़ती है, भावनात्मक भलाई होती है और बेहतर प्रेरणा मिलती है। हम इसलिए बेहतर नहीं बनते कि हम खुद को सजा देते रहते हैं, बल्कि इसलिए बेहतर बनते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों से डरना छोड़ देते हैं। आइए अतीत को बार-बार याद करना छोड़ दें और अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाएँ।

माफी का सबसे बड़ा काम किसी और को माफ करना नहीं है। शायद खुद को वही माफी देना सबसे बड़ा काम है। हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को तय न करे। जो व्यक्ति आज आपकी माफी का हकदार है, हो सकता है वह आपका दुश्मन न हो। हो सकता है कि वह... आप खुद हों। अगर हम दूसरों को इंसान होने के नाते माफ कर सकते हैं, तो क्या हम खुद को भी इंसान होने के नाते माफ नहीं कर सकते? ■

—लेखक सरकारी बैंक के से. नि.

कार्यपालक निदेशक, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूमंडल राजनीति व सामाजिक विषयों पर लेखन.

हमारी धरोहर

पत्थरों पर उकेरी गई एक विस्मृत धरोहर

- अमोघ गुप्ता



पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में शातियाल से रायकोट ब्रिज तक लगभग 100 किलोमीटर लंबा क्षेत्र विश्व की सबसे अद्भुत खुली शैल-कला (त्वबा तज) दीर्घाओं में से एक है। यह असाधारण पुरातात्विक परिदृश्य 50,000 से अधिक शैल-चित्रों और 5,000 से अधिक अभिलेखों को संजोए हुए है, जिनका कालखंड ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 16वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इन प्राचीन उत्कीर्णनों में इस क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक वैभव की झलक मिलती है। इनमें जैन परंपराओं से संबंधित चित्रांकन के साथ-साथ उन विभिन्न सभ्यताओं के प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जो सदियों तक इस ऐतिहासिक मार्ग से होकर गुजरीं। चट्टानों पर उकेरी गई ये कलाकृतियाँ अनगिनत पीढ़ियों की आस्थाओं, यात्राओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की मौन साक्षी हैं। पत्थरों पर अंकित यह अमूल्य धरोहर भारतीय उपमहाद्वीप के गहन, बहुआयामी और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है तथा हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत कहानी कहती है। ■

(लेखक वास्तुविद एवं विज्ञान भारती
मध्यभारत प्रान्त के अध्यक्ष हैं)

नवलय गतिविधियाँ

गद्यवीथिका पुस्तक का विमोचन



गत 22 अगस्त को भोपाल के विश्व सम्वाद केन्द्र के सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश प्रसाद मालवीय की कृति, 'गद्यवीथिका' का विमोचन समारोह, नवलय के तत्वाधान में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि थे, पूर्व डीजीपी होमगार्ड श्री प्रकाश सिंह राजपूत, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमकान्त उमालकर, वैज्ञानिक डा. डी. मुरली कृष्ण, कवि एवं सम्पादक श्री राजेन्द्र शर्मा 'अक्षर', वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कमल जैन तथा नवलय के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन।

लेखक श्री जगदीश प्रसाद मालवीय जी गत 65 वर्षों से लेखन कार्य में संलग्न हैं। प्रस्तुत कृति में उनके द्वारा समय समय पर लिखे गये लेखों, नाटकों, कहानियों को संग्रहित किया गया है। विमोचित कृति उनके दीर्घ लेखन की पांचवी कृति है।

श्री कमल जैन ने लेखक से सम्बन्धित कई रोचक किस्सों से सभी को अवगत कराया। श्री राजेन्द्र शर्मा 'अक्षर' ने श्री मालवीय जी के दीर्घ लेखन पर प्रकाश डाला। विमोचन के दौरान श्री संजय मालवीय ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत की। श्री राकेश कुमार जैन ने विमोचित पुस्तक में प्रकाशित लेखों में से कुछ के अंश भी पढ़कर सुनाये। अन्य सभी अतिथियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। किसी भी लेखक के जीवन में उनकी जीवन संगिनी के महत्व को रेखंकित करते हुए जब कार्यक्रम में लेखक श्री जगदीश मालवीय जी की पत्नी श्रीमती प्रतिभा मालवीय जी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया तो वह कार्यक्रम का यादगार पल था। कार्यक्रम में श्री आशीष शर्मा, सम्पादक 'नवलय अनुबोध' ने आभार प्रदर्शन किया। श्रीमती अनामिका शर्मा ने कार्यक्रम के प्रारम्भ में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के साथ ही कार्यक्रम का सफल संचालन किया। ■

नवलय

अनुबोध

भारतीय संस्कृति के पोषण, सकारात्मक राष्ट्रीय विचारों के प्रसार व ज्ञानवर्धन के लिये 'नवलय अनुबोध' मासिक पत्रिका का प्रकाशन गत 19 वर्षों से किया जा रहा है। आपसे पत्रिका के सदस्य बनने का अनुरोध है। पत्रिका की प्रति, पंजीकृत डाक द्वारा आपके पते पर पहुंचाई जायेगी।

सदस्यता शुल्क : दो वर्ष रू. 500/- एक वर्ष रू. 300/- राशि प्रेषण बारकोड पर या बैंक खाते में सीधे भेज सकते हैं।

इस माह जिनसे सहयोग राशि प्राप्त हुई :

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. श्री हिम्मत सिंह जैन, नीमच | 2. श्री सचिन भागवत, भोपाल | 3. श्रीमती बिनय राजाराम, भोपाल |
| 4. श्री जे. के. जैन, भोपाल | 5. श्री विक्रमादित्य सिंह, भोपाल | 6. श्री राजेश सिंघई, सागर |
| 7. श्री अमिताभ मनया जैन, भोपाल | 8. श्री विनय सप्तऋषि, भोपाल | 9. श्री अशोक वाधवानी, कोल्हापुर |
| 10. श्री संजय नाहर, भोपाल | 11. श्री हेमन्त शर्मा, भोपाल | 12. श्री चन्द्रशेखर चौबे, भोपाल |

खाते का नाम - नवलय अनुबोध (Navalaya Anubodh)

खाता क्र. - 3018974905

बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, भोपाल

IFSCCode - CBIN 0283134

राशि प्रेषण की सूचना व पिनकोड सहित डाक पता मो. 9755380050 पर भेजें।



नवलय ज्ञानदान

चलो जलायें दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है।
योजना प्रारम्भ से अब तक, वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु ₹ 6,12,844/- की सहायता दी जा चुकी है

वार्षिक सहयोग राशि का भुगतान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में/ नेट बैंकिंग/गूगल पे/पेटीएम से कर सकते हैं
खाते का नाम - नवलय ज्ञानदान (Navalaya Gyandan)

खाता क्र. - 3164047076

बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, भोपाल

IFSCCode - CBIN 0283134

Scan here to pay



NAVALAY HUZUR
क्यू आर कोड को स्कैन कर राशि प्रेषित कर सकते हैं।

इस माह जिनसे सहयोग राशि प्राप्त हुई :

1. श्री एस. पी. उमलिया, भोपाल

आपके द्वारा दिया गया दान आयकर धारा 80/जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त होगा
सम्पर्क करें : 9425005033, 9300494833

जो कहा वो किया जो सोचा वो हुआ



क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या राम क्या रहीम,
क्या रविन्दर क्या रॉबर्ट सबके लिये समान कानून

मात्र **2 माह** में 27 अप्रैल 2026 को उच्च स्तरीय समिति
गठन के बाद, 21 जुलाई 2026 को विधानसभा में ऐतिहासिक मंजूरी

विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता

21 जुलाई 2026
विधानसभा
में पारित

सर्वसमुदाय का समर्थन

हिन्दू: 95% पुरुष
96% महिलाएं
मुस्लिम: 40% पुरुष
80% महिलाएं
ईसाई: 90% पुरुष
95% महिलाएं
सिख: 93% पुरुष
96% महिलाएं

लैंगिक समानता और अधिकार

91%
ने भेदभावपूर्ण तलाक कानून
हटाने का समर्थन किया
92%
ने बेटियों और माताओं को
संपत्ति में समान अधिकार
का समर्थन किया

ऐतिहासिक जनसमर्थन

93%
ने समान नागरिक संहिता
का समर्थन किया
92%
पुरुष और महिलाएं समान
कानून के पक्ष में

अभूतपूर्व जन-भागीदारी

सुझाव हेतु वेब पोर्टल लॉन्च
3.50 करोड़
संदेश नागरिकों को भेजे गए
10 लाख सुझाव मिले
मध्यप्रदेश के विधायी इतिहास
में पहली बार
जिला और राज्य स्तर पर
50+ वृहद बैठकें
व्यावहारिक सुझाव संकलित
1,134+

27 अप्रैल 2026 उच्च स्तरीय समिति का गठन

7 सदस्यीय उच्च स्तरीय
समिति द्वारा देश के विभिन्न
कानूनों और अन्य राज्यों के
UCC मॉडलों का गहन
तुलनात्मक अध्ययन



प्रदेश की आधी आबादी, सभी बहनों को, दिया उनका हक़

प्रकाशक एवं मुद्रक राकेश कुमार जैन द्वारा स्वामित्व नवलय के लिए 54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं
श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स, एस-बी-2, लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा मुद्रित